



MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.,

मेघजी बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड

Regd. No. : BOM/W-E/HSG/(TC) 392/85-86

Temporary office address ONLY for correspondence: Rm No.27, 3rd Floor, 'C' Block, Meghji Building, Shivdas Champs Marg, Mumbai -400009

Email: meghjibuildingmumbai@gmail.com Cont. +91-7977171223

दिनांक. १३ सितम्बर २०२४

NOTICE

चौथी वार्षिक सर्वसाधारण सभा नोटिस

मेघजी बिल्डिंग के सभी मूल मालिक सभासदों को सूचित किया जाता है कि मेघजी बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी संस्था की चौथी (4th) वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवार दिनांक २९ सितम्बर २०२४ को श्याम को ठीक 4:00 बजे आयोजित की गई है।

पता :- "श्री सी.वी.ओ.डी. जैन महाजन मुंबई का "रोमन विजन बैंकवेट हॉल", तीसरी मंजिल, 99/101 केशवजी नाइक रोड, चिंचबंदर, मुंबई - 400 009".

सभी मेंबर्स से विनम्र विनती है कि कृपया टाइम पर उपस्थित रहे।

सभा समक्ष विषय (AGENDA)

1. सभा अध्यक्ष की नियुक्ति करना।
2. पिछली तीसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा का सभावृत्त का वाचन और पुष्टि करना। (अनुलग्नक १)
3. आठवीं विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को पढ़ना और पुष्टि करना। (अनुलग्नक २)
4. नववि विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को पढ़ना और पुष्टि करना। (अनुलग्नक ३)
5. पुराने सदस्यों (केवल 77 मूल मालिक सदस्यों में से) के स्थान पर नए सदस्यों का परिचय और अनुमोदन, जिन्होंने या तो अपने फ्लैट बेचे हैं या अपने अधिकारों को अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है या सदस्य की मृत्यु के कारण, फ्लैट को उनके कानूनी उत्तराधिकारी को स्थानांतरित किया जाना है। (अनुलग्नक ४)
6. टेनेंसी ट्रांसफर हेतु आये हुए आवेदनों पर चर्चा करना। (अनुलग्नक ५)



MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.,

मेघजी बिल्डिंग टेनैंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड

Regd. No. : BOM/W-E/HSG/(TC) 392/85-86

Temporary office address ONLY for correspondence: Rm No.27, 3rd Floor, 'C' Block, Meghji Building, Shivdas Champs Marg, Mumbai -400009

Email: meghjibuildingmumbai@gmail.com Cont. +91-7977171223

7. २०२३ - २०२४ इस वर्ष का सोसाइटी का जमा खर्च अहवाल प्रस्तुत करना। (अनुलग्नक ६)
8. साल २०२२ - २०२३ का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करना। (अनुलग्नक ७)
9. साल २०२४ - २०२५ में होने वाले सोसाइटी के खर्च की समीक्षा करना।
10. २०२४ - २०२५ वर्ष के लिए शासकीय लेखा परीक्षक नियुक्त करना।
11. मंगलवार तारीख ६ अगस्त २०२४ को सोसाइटी के पत्रा शेड गोडाउन के टेनैंट्स के साथ मैनेजिंग समिति की मीटिंग में सोसाइटी के पत्रा शेड गोडाउन वालो ने रुपये १५ और रुपये १० प्रति स्क्वायर फिट के बजाये रुपये ३ प्रति स्क्वायर फ्रीट के मुताबिक सोसाइटी को अप्रैल २०२१ से किराये चुकाने वाले लेटर पर चर्चा करना।
12. तारीख ११ जुलाई २०२४ को म्हाडा द्वारा पारित अपनी सोसाइटी की ज़मीन के अधिग्रहण के आदेश के विषय में चर्चा करना।
13. सोसाइटी के कन्वेयन्स और रिडेवेलोपमेन्ट कार्य के बारे में मेंबर्स को जानकारी देना तथा इस विषय पर आगे की चर्चा करना।
14. मैनेजिंग समिति की बर्खास्तगी के बारे में मुंबई हाई कोर्ट में चल रहे केस के बारे में मेंबर्स को जानकारी देना तथा इस विषय पर आगे के बारे में चर्चा करना।
15. सोसाइटी द्वारा दायर मुंबई हाई कोर्ट में यतिन यशवंत जाधव, निखिल यशवंत जाधव और विनीत नित्यानंद जाधव के खिलाफ केस के बारे में मेंबर्स को जानकारी देना और इस विषय पर आगे की चर्चा करना।
16. माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्य उपस्थित हुए विषय पर चर्चा करना।



MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.,

मेघजी बिल्डिंग टेनैंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड

Regd. No. : BOM/W-E/HSB/(TC) 392/85-86

Temporary office address ONLY for correspondence: Rm No.27, 3rd Floor, 'C' Block, Meghji Building, Shivdas Champs Marg, Mumbai -400009
Email: meghjibuildingmumbai@gmail.com Cont. +91-7977171223

सूचना

- 1) यदि किसी सदस्य को उपरोक्त विषयों पर कोई प्रश्न पूछना है, तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे बैठक के कम से कम तीन दिनों से पहले लिखित में अपने प्रश्न सोसाइटी कार्यालय में प्रस्तुत करें, बाद में उठाए हुए प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2) कोरम ना होने पर सभा आधे घंटे के लिए स्थगित की जाएगी, आधे घंटे के बाद सदर सभा उसी दिन उसी स्थान पर उसी एजेंडा पर संपन्न होगी उसे कोरम की आवश्यकता नहीं होगी।
- 3) सदस्यों को बैठक में भाग लेने के लिए अपना वैध आई.डी प्रमाण लाना जरूरी होगा। सभा में केवल "आए" (I) और "जे" (J) रजिस्टर में जिन मूल ७७ सभासदों का नाम है और जिन नए सभासदों को इस मीटिंग में सदस्यता मिलने वाली है (यह भी मूल ७७ सभासदों में से ही) उन्हीं सभासदों को प्रवेश दिया जाएगा। प्रॉक्सी, पावर ऑफ अटॉर्नी धारक या नॉन मेंबर्स को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
- 4) पुराने सदस्यों (केवल 77 मूल मालिक सदस्यों में से) के स्थान पर जिन नए सदस्यों का परिचय और अनुमोदन, जिन्होंने या तो अपने फ्लैट बेचे हैं या अपने अधिकारों को अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है या सदस्य की मृत्यु के कारण, फ्लैट को उनके कानूनी उत्तराधिकारी को स्थानांतरित किया जाना है, उन सदस्यों को भी इस मीटिंग में उपस्थित रहने दिया जाएगा।


Secretary


Member of Managing Committee


Member of Managing Committee


Member of Managing Committee


Member of Managing Committee


Member of Managing Committee



o/c
ANN - 1
**MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE
HOUSING SOCIETY LTD.,**

मेघजी बिल्डिंग टेनॅट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड

Regd. No. : BOM/W-E/HSG/(TC) 392/85-86

Temporary office address ONLY for correspondence: Rm No.27, 3rd Floor, 'C' Block, Meghji Building, Shivdas Champsi Marg, Mumbai -400009
www.meghjibuilding.com Email: meghjibuildingmumbai@gmail.com Cont. +91-7977171223

Date: 19/02/2024

To,
Shree Sandipan Mate
Asst. Registrar of Societies (E-ward).
5th Floor, Boruka Charitable Trust Building,
Poona Street, Masjid Bunder,
Mumbai - 400 009.

**Sub: Submission of Draft Minutes of the Annual General Body meeting held on 30th
September 2023.**

Respected Sir,

Please find attached herewith the Draft Minutes of the 3rd Annual General Body Meeting of our society held on 30th September 2022 at 4.00 p.m. at Shri C.V.O.D. Jain Mahajan Mumbai's "**Roman Vision Banquet Hall**", 3rd Floor, 99/101 Keshavji Naik Road, Chinchbunder, Mumbai - 400 009 approved by the Managing Committee held on 17th February 2024.

Soon after this AGM, our Secretary Shri Dharmesh Solanki was brutally stabbed and an attempt of murder was carried out on him and thereafter on non-existent, fictitious and false complaint by illegally acquired property tenant, our committee was dissolved and with the stay order received from the Hon'ble Bombay High Court on the order dated 28-11-2023 passed by the Asst. Registrar of Societies, E - Ward, our Managing Committee was reinstated back and hence we are submitting the Draft Minutes now.

The said meeting was video recorded as per bye-laws and as we do not have any surplus funds nor any one member of our society is residing currently in the building as A and B blocks are demolished and C block is 98% vacant and we have waived maintenance of all the members since April 2022, we do not have future projections of fund or activities as we are heading towards redevelopment.

Hence, we had not included the agenda of 1) use of surplus funds and 2) future projection of funds and activities, there by not to make mockery of our members and also not increas their anxiety and sorrow as all us are suffering as we do not have house and we are living outside by paying hefty rents from our own pockets.

We humbly request you not to increase our sorrow, suffering and anxiety by acting on false, fictitious and baseless complaints of any outsider having vested interest.



MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.,

मेघजी बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड

Regd. No. : BOM/W-E/HSG/(TC) 392/85-86

Temporary office address ONLY for correspondence: Rm No.27, 3rd Floor, 'C' Block, Meghji Building, Shivdas Champs Marg, Mumbai -400009
www.meghjibuilding.com Email: meghjibuildingmumbai@gmail.com Cont. +91-7977171223

This is for your information and record.

Thanking you,

Yours Sincerely,

P. Solanki

Pravin Solanki
Chairman for this MC meeting

D. Solanki

Dharmesh Solanki
Secretary

P. Gawas

Pravin Gawas
Treasurer

P. B. Khadig

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

P. Solanki

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

J. K. Gupta

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

N. B. Singh

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

DRAFT MINUTES OF 3RD ANNUAL GENERAL BODY MEETING HELD ON
SATURDAY 30 SEPTEMBER 2023.

मेघजी बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की शनिवार दिनांक ३० सितम्बर २०२३ की श्याम को ठीक 4:00 बजे "श्री सी.वी.ओ.डी. जैन महाजन मुंबई का "रोमन विजन बैंकवेट हॉल", तीसरी मंजिल, 99/101 केशवजी नाइक रोड, चिंचबंदर, मुंबई - 400 009" में आयोजित की गई तीसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा का कार्य वृत्तांत (मिनट्स)। बाई लॉज के मुताबिक इस तीसरी वार्षिक सर्वसाधारण मीटिंग का वीडियो चित्रीकरण भी किया गया था।

सभा (मीटिंग) पूर्वाहन (scheduled to start at) ४.०० बजे शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरम न होने के कारण सभा 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद सभा उसी स्थान पर ४.३० बजे उसी स्थान पर उसी एजेंडा पर चर्चा हेतु शुरू हुई।

अध्यक्ष ने सोसाइटी के सभी सदस्यों का स्वागत किया और सभा में भाग लेने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

इसके बाद अध्यक्ष ने सचिव से एजेंडा के अनुसार बैठक शुरू करने का अनुरोध किया।

एजेंडा क्रमांक १ (पिछली दूसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा का सभावृत्तांत का वाचन और पुष्टि करना।)

सचिव ने इसके बाद 18 सितम्बर 2022 को आयोजित दूसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा की बैठक के मिनट्स पढ़े और बताया कि अंतिम एजीएम में पारित प्रस्तावों के अनुसार मैनेजिंग समिति द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी और तत पश्चात सभी मेंबर्स से उनको कोई प्रश्न पूछने हो तो बताने को कहा।

तब श्री महेश राठोड ने पूछा की क्या मैनेजिंग समिति ने पूर्व के सेक्रेटरी मधुकर कदम और अध्यक्ष शुजाउद्दीन खान से श्री विजय कांबली से सोसाइटी के नाम पर लिए गए ३,००,०००/- रुपियों के बारे में पूछा है? क्या सिर्फ रुपये ३,००,०००/- लाख के एवज़ में क्या अपनी बननेवाली नयी बिल्डिंग में फ्लैट दे सकता है? समिति के ना कहने पर उन्होंने श्री शुजाउद्दीन खान को इसी मीटिंग में पूछने को कहा। श्री शुजाउद्दीन खान से पूछने पर उन्होंने कहा की उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है। तब श्री महेश राठोड ने श्री मधुकर कदम और श्री शुजाउद्दीन खान से लिखित स्वरूप में पूछकर लिखित जवाब प्राप्त करने का सुजाउ दिया।

ठराव क्रमांक १



सभी मेंबर्स ने श्री मधुकर कदम और श्री शुजाउद्दीन खान से सोसाइटी के नाम पर श्री विजय कांबली से लिए गए रुपये ३,००,०००/- के बारे में लेखी स्वरुप में जवाब मंगाने के अतिरिक्त कोई प्रश्न नहीं पूछना है कहकर दूसरी वार्षिक सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को सर्वसम्मति से ठराव पारित करके अनुमोदित किया।

सूचक: श्रीमती दीना कणबी

अनुमोदक: श्री रामाशंकर गुप्ता

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक २ (पहली विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को पढ़ना और पुष्टि करना।)

सचिव ने इसके बाद 13 नवंबर 2022 की सुभह १०.०० बजे को आयोजित पहली विशेष सर्वसाधारण सभा की बैठक के मिनट्स पढ़े और तत पश्चात सभी मेंबर्स से उनको कोई प्रश्न पूछने हो तो बताने को कहा।

ठराव क्रमांक २

सभी मेंबर्स ने कोई प्रश्न नहीं पूछना है कहकर पहली विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को सर्वसम्मति से ठराव पारित करके अनुमोदित किया।

सूचक: श्री रामजी मकवाना

अनुमोदक: श्री रफीक भेरी

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक ३ (दूसरी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को पढ़ना और पुष्टि करना।)

सचिव ने इसके बाद 22 दिसंबर 2022 की सुभह १०.३० बजे को आयोजित दूसरी विशेष सर्वसाधारण सभा की बैठक के मिनट्स पढ़े और तत पश्चात सभी मेंबर्स से उनको कोई प्रश्न पूछने हो तो बताने को कहा।

ठराव क्रमांक ३

सभी मेंबर्स ने कोई प्रश्न नहीं पूछना है कहकर दूसरी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को सर्वसम्मति से ठराव पारित करके अनुमोदित किया।

सूचक: श्रीमति गीता लॉडे

अनुमोदक: श्रीमति संतोक कुंढाडिया



ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक ४ (तीसरी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को पढ़ना और पुष्टि करना।)

सचिव ने इसके बाद 25 जून 2023 की श्याम को ४.०० बजे को आयोजित तीसरी विशेष सर्वसाधारण सभा की बैठक के मिनट्स पढ़े और तत पश्चात सभी मेंबर्स से उनको कोई प्रश्न पूछने हो तो बताने को कहा।

ठराव क्रमांक ४

सभी मेंबर्स ने कोई प्रश्न नहीं पूछना है कहकर तीसरी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को सर्वसम्मति से ठराव पारित करके अनुमोदित किया।

सूचक: श्री महेंद्र वाघेला

अनुमोदक: श्री दीपक मकवाना

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक ५ (चौथी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को पढ़ना और पुष्टि करना।)

सचिव ने इसके बाद 25 जून 2023 की श्याम को ५.०० बजे को आयोजित चौथी विशेष सर्वसाधारण सभा की बैठक के मिनट्स पढ़े और तत पश्चात सभी मेंबर्स से उनको कोई प्रश्न पूछने हो तो बताने को कहा।

ठराव क्रमांक ५

सभी मेंबर्स ने कोई प्रश्न नहीं पूछना है कहकर चौथी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को सर्वसम्मति से ठराव पारित करके अनुमोदित किया।

सूचक: श्री वसंत चारणीया

अनुमोदक: श्री कांति मकवाना

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक ६ (पांचवी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को पढ़ना और पुष्टि करना।)



सचिव ने इसके बाद 25 जून 2023 की श्याम को ६.०० बजे को आयोजित पांचवी विशेष सर्वसाधारण सभा की बैठक के मिनट्स पढ़े और तत पश्चात सभी मेंबर्स से उनको कोई प्रश्न पूछने हो तो बताने को कहा।

ठराव क्रमांक ६

सभी मेंबर्स ने कोई प्रश्न नहीं पूछना है कहकर पांचवी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को सर्वसम्मति से ठराव पारित करके अनुमोदित किया।

सूचक: श्री प्रफुल मकवाना

अनुमोदक: श्रीमति लीना चारणिया

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक ७ (छठी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को पढ़ना और पुष्टि करना।)

सचिव ने इसके बाद 25 जून 2023 की श्याम को ७.०० बजे को आयोजित छठी विशेष सर्वसाधारण सभा की बैठक के मिनट्स पढ़े और तत पश्चात सभी मेंबर्स से उनको कोई प्रश्न पूछने हो तो बताने को कहा।

ठराव क्रमांक ७

सभी मेंबर्स ने कोई प्रश्न नहीं पूछना है कहकर छठी विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को सर्वसम्मति से ठराव पारित करके अनुमोदित किया।

सूचक: श्री खिमजी परमार

अनुमोदक: श्री दानजी चौहान

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक ८ (सातवीं विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को पढ़ना और पुष्टि करना।)

सचिव ने इसके बाद 30 जुलाई 2023 की श्याम को ४.०० बजे का आयोजित सातवा विशेष सर्वसाधारण सभा की बैठक के मिनट्स पढ़े और तत पश्चात सभी मेंबर्स से उनको कोई प्रश्न पूछने हो तो बताने को कहा।



ठराव क्रमांक ८

सभी मेंबर्स ने कोई प्रश्न नहीं पूछना है कहकर सातवीं विशेष सर्वसाधारण सभा के मिनट्स को सर्वसम्मति से ठराव पारित करके अनुमोदित किया।

सूचक: श्री विठल चौधरी

अनुमोदक: श्री रामजी मकवाना

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक ९ (पुराने सदस्यों (केवल 77 मूल मालिक सदस्यों में से) के स्थान पर नए सदस्यों का परिचय और अनुमोदन, जिन्होंने या तो अपने फ्लैट बेचे हैं या अपने अधिकारों को अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है या सदस्य की मृत्यु के कारण, फ्लैट को उनके कानूनी उत्तराधिकारी को स्थानांतरित किया जाना है।)

सचिव ने फिर पुराने सदस्यों (केवल 77 मूल मालिक सदस्यों में से) के स्थान पर निम्नलिखित नए सदस्यों जिन्होंने या तो अपने फ्लैट बेचे हैं या अपने अधिकारों को अपने कानूनी उत्तराधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है या सदस्य की मृत्यु के कारण, फ्लैट को उनके कानूनी उत्तराधिकारी को स्थानांतरित किया जाना है उन सभी मेंबर्स का परिचय दिया और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को उनके नाम को अनुमोदित करने की अनुमति मांगी।

ठराव क्रमांक ९

सभी उपस्थित मेंबर्स ने नए मेंबर्स का स्वागत किया और उनके नामों को सोसाइटी के मेंबर्स के तौर पर सर्वानुमति से अनुमोदित किया।

Sr. No	Flat No.	Floor	Wing	Original Name of the Members	New Name to be Updated	Remark
1	7	1st.	C	Bashiruddin Shamshudin Khan (deceased)	Mr. Shujauddin B. Khan	Nominee
2	14	1st.	C	Khan Yusuf Kasam	Mr. Altaf Kamruddin Khan	Purchaser
3	22	2 nd .	C	Abdul Kadir Parkar (deceased)	Mr. Sameer Abdul Kadir Parkar	Legal Heir
4	24	2 nd .	C	Eliyahoo Hannock Kurulkar	Mr. Dinesh Alji Chauhan	Purchaser
5	20	2nd.	C	MOHAMMAD (MOHAMED) AHMED SUWARNDURGAKAR	Mr. Anwar Mohammad Suwarnadurgakar	Legal Heir



6	3A Below Ladder	Ground Floor	B	Shyamnarayan Kanhyalal Gupta	Mr. Ramashankar Shyamnarayan Gupta	Legal Heir
ASSOCIATE MEMBER						
1	29	2nd.	A	Gogi Pandit Ramprakash Lakhanpal Original Member	Mr. Rahul Gogi Pandit Lakhanpal	Associate Member

सूचक: श्री विश्राम बोरिचा

अनुमोदक: श्री रफीक भेरी

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक १० (टेनेंसी ट्रांसफर हेतु आये हुए आवेदनों पर चर्चा करना।)

सचिव ने फिर सभी सदस्यों को अवगत कराया की अपनी सोसाइटी के एक किरायेदार के कानूनी उत्तराधिकारि (legal heir) ने टेनेंसी ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है। सचिव ने पुराने किरायेदार का तथा उनके कानूनी उत्तराधिकारि का नाम पढ़ कर सुनाया और उनकी टेनेन्सी ट्रांसफर हेतु मैनेजिंग समिति में पारित रुपये ११,०००/- फीस लेने की सभी मेंबर्स से उनकी राय पूछी।

ठराव क्रमांक १०

सभी उपस्थित मेंबर्स ने इस टेनेंसी ट्रांसफर के नाम को सोसाइटी के टेनान्ट की तौर पर सर्वानुमति से ठराव करके अनुमोदित किया।

Sr. No	Room, Godown, Shop No.	Floor	Wing	Original Name of the Tenant	New Name for Tenancy Transfer	Remark
1	Room no. 27A	3 rd	B	Mrs. Kankuben Bhimji Kundhadia	Mrs. Bharti Kiran Kundhadia	Legal Heir

सूचक: श्री शांताराम सालुंके

अनुमोदक: श्रीमती दीना कणबी

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक ११ (२०२२ - २०२३ इस वर्ष का सोसाइटी का जमा खर्च अहवाल प्रस्तुत करना।)



सचिव ने साल २०२२ - २०२३ इस वर्ष का सोसाइटी का जमा खर्च (audited balance sheet) प्रस्तुत किया और सभी मेंबर्स को बताया की अभी भी जो हमारे बैलेंस शीट में लोन फ्रॉम मधुकर कदम, ऑडिट फीस पेयबल और एकाउंटिंग चार्जेज पेयबल दिखा रहा है, उसके लिए मैनेजिंग समिति ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज (इ वार्ड) दफ्तर में री-ऑडिट के लिए आवेदन किया था और यह आवेदन मान्य करके असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब ने अपने सोसाइटी एकाउंट्स को री-ऑडिट करने हेतु डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के दफ्तर में शिफारिश भेजी है। इसके बाद सोसाइटी ने सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लोयी (government employee) ऑडिटर से ही हमारी सोसाइटी का ऑडिट होना चाहिए यह पत्र डिप्टी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार दफ्तर में भेजा है। सोसाइटी का निष्पक्ष गवर्नमेंट एम्प्लोयी द्वारा री-ऑडिट होने के बाद ही यह तीन कर्ज हमारी सोसाइटी पर से निकल जाएंगे और मधुकर कदम पर कानून कार्यवाही भी होगी। हमने डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ रिमाइंडर लेटर्स भी भेजे हैं, पर हमें अभी तक कोई प्रतिसाद नहीं मिला है और हम लगातार फॉलो उप ले रहे हैं।

इसके बाद सचिव ने सभी मेंबर्स को इस विषय में कुछ पूछना है यह पूछनेपर सभी मेंबर्स ने उन्हें कुछ नहीं पूछना है कहकर साल २०२२ - २०२३ इस वर्ष का सोसाइटी का जमा खर्च अहवाल सर्वानुमति से पारित किया।

ठराव क्रमांक ११

सभी मेंबर्स ने साल २०२२ - २०२३ इस वर्ष का सोसाइटी का जमा खर्च अहवाल सर्वानुमति से पारित किया।

सूचक: श्री दिनेश चौहान

अनुमोदक: श्री राहुल गोगीप्रसाद लखनपाल

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक १२ (२०२३ - २०२४ वर्ष के लिए शासकीय लेखा परीक्षक नियुक्त करना।)

सचिव ने साल २०२३ - २०२४ इस वर्ष के सोसाइटी के एकाउंट्स को ऑडिट करने के लिए श्री सचिन मुक्के, शासकीय लेखा परीक्षक का नाम सूचित किया।

ठराव क्रमांक १२

सभी मेंबर्स ने साल २०२३ - २०२४ इस वर्ष के लिए शासकीय लेखा परीक्षक श्री सचिन मुक्के इनको सर्वानुमति से ठराव करके नियुक्त किया।

सूचक: श्री रामजी मकवाना

अनुमोदक: श्री वसंत चारणिया

ठराव सर्वानुमति से पारित



एजेंडा क्रमांक १३ (साल २०२१ - २०२२ का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।)

सचिव ने फिर सोसाइटी के ऑडिटर सचिन मुके जी के मुताबिक साल २०२१ - २०२२ का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत किया और समिति ने इस पर क्या बदलाव किये है इस बारे में सभी मेंबर्स को सूचित किया। इसके पश्चात यदि किसी मेंबर्स को कोई प्रश्न पूछने है तो वह पूछ सकते है यह सचिव ने कहा।

ठराव क्रमांक १३

सभी मेंबर्स ने कोई प्रश्न नहीं पूछना है कहकर साल २०२१ - २०२२ का ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट को सर्वसम्मति से ठराव पारित करके अनुमोदित किया।

सूचक: श्री शांताराम सालुंके

अनुमोदक: श्री शुजाउद्दीन खान

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक १४ (अभी भी सोसाइटी के कुछ मेंबर्स तथा बहुतसारे टेनेंट्स / ऑक्युपेंट्स (जिनमे अधिकतर पतराशेद गोडाउन वाले तथा बिल्डिंग के निचे की दूकान वाले शामिल है) ने सोसाइटी का मेंटेनेंस / भाड़ा नहीं चुकाया है, उन सब पर उचित कार्यवाही हेतु चर्चा करना।)

सचिव ने सभी मेंबर्स को बताया अभी भी सोसाइटी के कुछ मेंबर्स तथा बहुतसारे टेनेंट्स / ऑक्युपेंट्स (जिनमे अधिकतर पतराशेद गोडाउन वाले तथा बिल्डिंग के निचे की दूकान वाले शामिल है) ने सोसाइटी का मेंटेनेंस / भाड़ा नहीं चुकाया है, उन सब पर उचित कार्यवाही हेतु आप सब अपने सुझाव देवे।

ठराव क्रमांक १४

सभी मेंबर्स सर्वानुमतिसे यह ठराव पारित किया की मैनेजिंग समिति, सोसाइटी के वकील की सलाह से आग का उचित कानूना कायवाहा कर।

सूचक: श्री सुनील परमार

अनुमोदक: श्री रामाशंकर गुप्ता



ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक १५ (हमारी सोसाइटी के पुनर्विकास के कार्य में जो हमें कार्पस फण्ड बिल्डर / डेवलपर से मिलेगा, उसे सोसाइटी के ७७ मूल मालिक मेंबरस में वितरण करने के बारे में चर्चा करना।)

सचिव ने बताया की हमारी सोसाइटी के पुनर्विकास के कार्य में जो हमें कार्पस फण्ड बिल्डर / डेवलपर से मिलेगा, उसे सोसाइटी के ७७ मूल मालिक मेंबरस में वितरण करने के बारे में आप सब अपनी राय देवे।

तब कुछ मेंबरस ने कहा की इस बारे हम पहले ही निर्णय ले चुके है, तो फिर से यह मुद्दा क्यों उपस्थित किया गया है। सचिव ने बताया की यह मुद्दा हमने विशेष सर्वसाधारण सभा में मंजूर किया था और इसे वार्षिक सर्वसाधारण सभा में मान्यता देना बहुत जरूरी है।

श्री महेश राठोड ने कहा की कार्पस फण्ड तो सोसाइटी के टेनेंट्स को भी मिलना चाहिए। सचिव ने उत्तर दिया की साल १९८२ में जब बिल्डिंग की प्रॉपर्टी डायमंड जुबली ट्रस्ट से खरीदी जा रही थी, तब इन टेनेंट्स के पास भी पैसे थे और वह बिल्डिंग खरीदने के वक्त अपना योगदान दे सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और तो और श्री प्रकाश मेहता जी ने इन सभी टेनेंट्स को रुपये १ - १ लाख दिए थे अपनी सोसाइटी के मेंबर बनने के लिए, पर यह टेनेंट्स ने यह १ लाख रुपये अपने पास ही रख लिए और मेंबर नहीं बने। आज हम अपनी सोसाइटी का रिडेवेलोप्मेन्ट इस लिए कर पा रहे है क्युकी हम ७७ लोगो ने उस वक्त रुपये ५,७५,०००/- इकट्ठा करके यह सारी प्रॉपर्टी डायमंड जुबली ट्रस्ट से खरीद ली थी और अपनी सोसाइटी भी सिर्फ ७७ लोगो की है। ऊपर वाले ने बरोबर न्याय किया और माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिये हमें सोसाइटी का रिकॉर्ड मिला और उसमे सिर्फ ७७ लोगो का ही नाम दर्ज है।

श्री महेश राठोड ने पूछा की तो क्या इन टेनेंट्स को नयी बिल्डिंग में मेंबरस से कम एरिया मिलेगा? तब सचिव ने बताया की हम किसी पर अन्याय नहीं होने देंगे, पर जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसी मुताबिक आगे की कार्यवाही होगी।

श्री महेश राठोड ने फिर पूछा का याद यह टेनेंट्स उनको कम एरिया मिलने के कारण काट में गए तो क्या होगा?

तब सचिव ने सभी मेंबरस से पूछा की यदि यह टेनेंट्स उनके अधिकार के लिए कोर्ट जा सकते है तो क्या हम ७७ मूल मालिक सदस्य अपने अधिकार के लिए एक जुट होकर नहीं लड़ सकते?



तब इस पर सभी मेंबर्स ने एक जुट होकर इस पर हामी भरी और कहा की हम भी हमारे हक के लिए लड़ेंगे।

सचिव ने कहा की टेनान्ट को टेनान्ट के हिसाब से ही एरिया मिलता है और लैंडलॉर्ड को लैंडलॉर्ड के मुताबिक, पर फिर भी हम सब के हक के लिए कोशिश कर रहे हैं। पुनर्विकास की प्रक्रिया में टेनान्ट का कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स / लैंडलॉर्ड ही फैसला करते हैं।

श्री महेश राठोड ने पूछा की यह कार्पस फण्ड कोई भी मेंबर कब ले सकता है? तब सचिव ने बताया की यह कार्पस फण्ड कोई मेंबर अपनी बिल्डिंग बनने के बाद, घर का पोसेशन मिलने पर ले सकता है। पर यदि कोई इसबीच में अपना घर बेचना चाहे तो यह कार्पस फण्ड की रकम नए मालिक से वसूल कर सकते हैं और नया मालिक सोसाइटी से नया घर का पोसेशन मिलने पर सोसाइटी से ले सकते हैं।

ठराव क्रमांक १५

सभी मेंबर्स ने सर्वानुमतिसे यह ठराव किया की रिडेवेलोपमेन्ट में बनने वाली अपनी नयी बिल्डिंग में जो डेवलपर द्वारा कार्पस फण्ड दिया जायेगा वह सिर्फ और सिर्फ ७७ मूल मालिक सदस्यों में ही बाटा जायेगा और इसपर किसीभी टेनान्ट का कोई अधिकार नहीं होगा और अब इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी।

सूचक: श्री शुजाउद्दीन खान

अनुमोदक: श्री शांताराम सालुंके

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक १६ (सोसाइटी के पुनर्विकास के कार्य को आगे बढ़ने के लिए जो मैनेजिंग समिति ने नए PMC रेक्स कोन कोर कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को अप्पॉइंट किया है, उन की फीस के बारे में तथा उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने के बारे में चर्चा करना।)

फिर सचिव ने बताया की सोसाइटी के पुनर्विकास के कार्य को आगे बढ़ने के लिए जो मैनेजिंग समिति ने नए PMC रेक्स कोन कोर कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड को अप्पॉइंट किया है और आज हमें उन की फीस के बारे में तथा उनके साथ एग्रीमेंट साइन करने के बारे में चर्चा करनी है। फिर



सचिव ने रेक्स कॉन्कोर PMC की तरफ से आये हुए श्री अनूप गुप्ता जी और उनकी टीम का स्वागत किया और आगे की जानकारी सभी मेंबर्स को देने की दरखास्त की।

श्री अनूप गुप्ता जी ने उनकी कंपनी के बारे में सभी मेंबर्स को अवगत कराया और उनकी फीस के बारे में तथा उनके साथ की जाने वाली एग्रीमेंट के बारे में जानकारी दी। साथ ही में उन्होंने अपनी सोसाइटी के तीन अलग अलग फिजिबिलिटी रिपोर्ट पेश किये।

सारे मेंबर्स उनकी फीस, एग्रीमेंट तथा फिजिबिलिटी रिपोर्ट से पूरी तरह से ना खुश थे।

ठराव क्रमांक १६

सभी मेंबर्स ने आपस में काफी देर चर्चा की और PMC से भी काफी सारे प्रश्न पूछने के बाद सर्वानुमतिसे यह ठराव किया की

१) पहले मैनेजिंग समिति, PMC एग्रीमेंट की कॉपी सभी मेंबर्स तथा सोसाइटी के वकील को भेजे। फिर सभी मेंबर्स अपने सुझाव देंगे या उनके संदेह मैनेजिंग समिति को बताएँगे और मैनेजिंग समिति यह सुझाव / संदेह PMC को आगे भेजेंगे और PMC से उत्तर आने के बाद सोसाइटी के वकील के साथ चर्चा करके, PMC, मैनेजिंग कमिटी, सोसाइटी के सदस्य तथा सोसाइटी के वकील मिलकर फैसला लेंगे।

२) PMC की फीस के बारे में सयुक्त मीटिंग में चर्चा करेंगे।

३) PMC नया फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर दे जो सभी मेंबर्स के हित में हो।

४) यदि मैनेजिंग कमिटी को इमरजेंसी स्थिति में कुछ PMC को साइड करके वकील की सलाह से सोसाइटी के मेंबर्स के हित में कुछ फैसले लेने पड़े तो सभी मेंबर्स से उनको यह करने की अनुमति है।

सूचक: श्री प्रफुल मकवाना और श्री महेश राठोड

अनुमोदक: श्री कांति मकवाना और श्री दीपक मकवाना

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक १७ (माननीय अध्यक्ष की अनुमति से अन्य उपस्थित हुए विषय पर चर्चा करना।)

एजेंडा क्रमांक १७ ए

सचिव ने सभी मेंबर्स को बताया की हम सब ने मिलकर २५ जून २०२३ की छठी विशेष सर्वसाधारण सभा के मुताबिक समर्थ इरेक्टर्स एंड डेवलपर को खारिज किया है, उसने अपनी



सोसाइटी के विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन का केस दायर किया है तो सभी मेंबर कृपया अपनी राय दे।

ठराव क्रमांक १७ ए

सभी मेंबर्स ने आपस में चर्चा करके और आये हुए रेक्स कॉन्कोर PMC के प्रतिनिधि से सलाह लेकर सर्वानुमति से यह ठराव किया की समर्थ इरेक्टर्स एंड डेवलपर्स ने जो अपनी साइटी के विरुद्ध बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्बिट्रेशन केस दायर किया है उसके खिलाफ सोसाइटी उचित जवाब दे और सोसाइटी अच्छा वकील करके डिफेंड करे क्युकी हमें इस डेवलपर पर रती भर भी भरोसा नहीं है और हमे किसीभी हालत में उसके साथ कोई कार्य नहीं करना है।

सूचक: श्रीमति पार्वती सोलंकी

अनुमोदक: श्री रामाशंकर गुप्ता

ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक १७ बी

सचिव ने बताया की श्री मुस्ताक टेमरिकर जी की बहन कुमारी बिलकिस टेमरिकर के थू उनके वकील श्रीमती डिंपल छेड़ा से हमें उचित निवेदन प्राप्त हुआ है जिसमे उन्होंने श्री मुस्ताक टेमरिकर का नाम शेयर सर्टिफिकेट से हटाकर पहले उनके पिताजी श्री युसूफ टेमरिकर के नाम पर करके फिर उसे हटाकर बिलकिस युसूफ टेमरिकर, यासीन युसूफ टेमरिकर, हनीफ युसूफ टेमरिकर, मुश्ताक युसूफ टेमरिकर, सज्जाद युसूफ टेमरिकर, फरीदा हामिद काज़ी, रिज़वाना फ़ैयाज़ काज़ी के नाम लिखे जाए और इस प्रकार सोसाइटी के "I" और "J" रजिस्टर में भी बदलाव किये जाए। उन्होंने इस के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से प्राप्त सक्सेशन सर्टिफिकेट, इन्डेमिन्टी बांड वगैरे सभी डाक्यूमेंट्स दिए है। तो कृपया सभी मेंबर्स अपने सुझाव दे तथा किसीको कोई ऑब्जेक्शन है तो बताये।

ठराव क्रमांक १७ बी

किसी मेंबर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होने पर सभी मेंबर्स ने सर्वानुमतिसे श्री मुस्ताक युसूफ टेमरिकर का नाम हटाकर, फिर से उनके मृत पिता श्री युसूफ टेमरिकर का नाम लिखकर फिर उसे हटाकर क्रमश बिलकिस युसूफ टेमरिकर, यासीन युसूफ टेमरिकर, हनीफ युसूफ टेमरिकर, मुश्ताक युसूफ टेमरिकर, सज्जाद युसूफ टेमरिकर, फरीदा हामिद काज़ी, रिज़वाना फ़ैयाज़ काज़ी के नामो को उनके शेयर सर्टिफिकेट पर और सोसाइटी के "I" और "J" रजिस्टर में लिखने का ठराव पारित किया।



सूचक : श्री रफीक भेरी

अनुमोदक : श्री अल्ताफ खान

ठराव सर्वानुमतिसे पारित

एजेंडा क्रमांक १७ सी

सचिव ने फिर सभी मेंबर्स को बताया की मैनेजिंग समिति और रेक्स कॉन्कोर PMC ने यह तय किया है की सोसाइटी का पुनर्विकास का टेंडर नोटिस तीन अखबार में प्रकाशित होगा - टाइम्स ऑफ़ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स और गुजरात समाचार और सभी अखबार में अलग अलग दिन विज्ञापन दिए जाएंगे। साथ ही में टेंडर डॉक्यूमेंट बेचने की कीमत होगी रुपये २५,०००/- प्रति डॉक्यूमेंट जो नॉन रिफंडेबल होगा और अर्नेस्ट मनी डिपोजिट (EMD) होगा रुपये १०,००,०००/- (दस लाख) जो उन डेवलपर्स के लिए रिफंडेबल होगा जिनका सिलेक्शन नहीं होगा और जिस एक डेवलपर का फाइनल सिलेक्शन होगा उनका यह EMD सोसाइटी खाते में जमा रहेगा। इसपर यदि कोई सवाल पूछना है तो वह अब पूछ सकते हैं।

श्री महेश राठोड ने कहा की टेंडर में कोई भी पुराना डेवलपर जिसने अपनी सोसाइटी के पुनर्विकास के लिए टेंडर भरे हो, उनको टेंडर प्रक्रिया में शामिल नहीं करना चाहिए और उनसे टेंडर नहीं लेना चाहिए। सचिव ने उत्तर दिया की हम ऐसा नहीं कर सकते। यदि कोई पुराना डेवलपर टेंडर डॉक्यूमेंट खरीद के ले जाते हैं तो यह सोसाइटी के लिए अच्छा है और पुराने डेवलपर का प्रपोझल अच्छा होगा तोहि सिलेक्ट होगा और यह हम सब मेंबर्स पर निर्भर करता है।

ठराव क्रमांक १७सी

सभी मेंबर्स ने आपस में चर्चा करके सर्वानुमतिसे यह ठराव किया की सोसाइटी के पुनर्विकास के लिए टेंडर नोटिस का विज्ञापन तीन अखबार - टाइम्स ऑफ़ इंडिया, महाराष्ट्र टाइम्स और गुजरात समाचार में प्रकाशित किये जाए और किस अखबार में किस तारीख को विज्ञापन देना है यह मैनेजिंग समिति तय करे और टेंडर डॉक्यूमेंट बेचने की कीमत रुपये २५,०००/- को और EMD रुपये १०,००,०००/- को मंजूरी किया।

सूचक: श्री विश्राम बोरिचा

अनुमोदक: श्री अल्ताफ खान

ठराव सर्वानुमति से पारित



एजेंडा क्रमांक १७ डी

सचिव ने सभी मेंबर्स को बताया की साल २०२१ में सोसाइटी के इलेक्शन के दौरान माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश से एडमिनिस्ट्रेटर श्री दीनानाथ काळे ने सोसाइटी के जिन मूल मालिक सदस्यों जो गुजर गए हैं या जिन्होंने अपने फ्लैट बेचे हैं, उनके उत्तराधिकारियों / लीगल हेयर्स या नए मालिक के नाम सोसाइटी के "I" और "J" रजिस्टर में दर्ज किये थे पर शेयर सर्टिफिकेट पर नाम दर्ज नहीं किये थे, इनमेसे कुछ मेंबर्स ने हमें पत्र लिखकर उनके नाम शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज करने का आवेदन किया है। मैनेजिंग समिति आप सब से अनुमति चाहते हैं की सिर्फ जो मेंबर्स ने आवेदन किया है उसी मेंबर्स के नाम को उनके शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज करने के साथ उन सभी मेंबर्स के नाम को भी उनके अपने शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज किया जाए जिन्होंने अब तक आवेदन नहीं किया है। कृपया सभी मेंबर्स अपनी राय देवे।

ठराव क्रमांक १७ डी

सभी मेंबर्स ने सर्वानुमतिसे उन सभी मूल मालिक मेंबर्स मेसे उन के नाम को उनके अपने शेयर सर्टिफिकेट पर दर्ज करने का ठराव पारित किया जिन ७७ मूल मालिक सदस्यों मेसे उनके उत्तराधिकारियों के तथा जिन्होंने इन ७७ मूल मालिक सदस्यों में से किसीसे उनका फ्लैट खरीदा हो उनका नाम एडमिनिस्ट्रेटर श्री दीनानाथ काळे ने सोसाइटी के "I" और "J" रजिस्टर में साल २०२१ में दर्ज किये हो।

सूचक : श्री रामजी मकवाना

अनुमोदक : श्री अल्ताफ खान

ठराव सर्वानुमतिसे पारित

सचिव ने सभी मेंबर्स से विनंती की, की मैनेजिंग समिति पुरे जोरो से रिडेवेलोप्मेन्ट के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं तो कृपया कोई भी मेंबर्स कम से कम अगले छह (6) महीने तक अपना रूम किसी को बेचने का सोचे भी नहीं।

इसके बाद सचिव ने सभी मेंबर्स से पूछा की यदि किसी मेंबर्स को कुछ पूछना हो तो वे पूछ सकते हैं यह मंच सभी के लिए अब खुला है। मौजूद मेंबर्स ने किसीको कुछ नहीं पूछना है यह जताया।



इसके पश्चात सचिव ने आये हुए मेहमान, चेयरमैन तथा सभी मेंबर्स का आभार व्यक्त करते हुए रात १०.२५ बजे मीटिंग समाप्ति की घोषणा की।





MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LTD.,

मेघजी बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड

Regd. No. : BOM/W-E/HSG/(TC) 392/85-86

Temporary office address ONLY for correspondence: Rm No.27, 3rd Floor, 'C' Block, Meghji Building, Shivdas Champs Marg, Mumbai -400009
www.meghjibuilding.com Email: meghjibuildingmumbai@gmail.com Cont. +91-7977171223

Date: 22/07/2024

प्रति,

सभी मूल मालिक सदस्य,

मेघजी बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड,


शिवदास चम्पसी मार्ग, मुंबई - ४००००९


प्रिय सदस्य,

कृपया इस पत्र के साथ संलग्न है, मैनेजिंग समिति तथा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर के ६ सदस्यों द्वारा अनुमोदित 26 मई 2024 को आयोजित हमारी सोसायटी की आठवीं और नववि विशेष सर्वसाधारण सभा की बैठक के प्रारूप कार्यवृत्त ।

यह आपकी जानकारी के लिए और सुझाव के लिए प्रस्तुत है।

धन्यवाद,


धर्मेश मुलजी सोलंकी
सचिव


प्रवीण गवस
खजिनदार


प्रवीण सोलंकी
मैनेजिंग समिति मेंबर



MINUTES OF 8TH SPECIAL GENERAL BODY MEETING HELD ON 26-5-2024 AT 3.00 PM.

मेघजी बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की आठवीं (8th) विशेष सर्वसाधारण सभा रविवार तारीख २६ मई २०२४ की श्याम को ठीक ३:०० बजे "श्री सी.वी.ओ.डी. जैन महाजन मुंबई का "रोमन विजन बैंकवेट हॉल", तीसरी मंजिल, ९९/१०१ केशवजी नाइक रोड, चिंचबंदर, मुंबई - ४०० ००९" में आयोजित की गई आठवीं विशेष सर्वसाधारण सभा का कार्य वृत्तांत (मिनट्स)।

सभा (मीटिंग) पूर्वाहन (scheduled to start at) श्याम ३.०० बजे शुरू होने वाली थी, पर रेलवे में मेगा ब्लॉक होने के कारण मेंबर्स ने मीटिंग में देर से पोहोचने की सूचना दी थी इसलिए सभा को ३० मिनट तक स्थगित किया गया और फिर ३.४५ बजे मीटिंग उसी एजेंडा पर उसी स्थान पर चर्चा के लिए शुरू हुयी।

सचिव ने सोसाइटी के सभी सदस्यों का तथा सोसाइटी के ऑडिटर श्री सचिन मुके जी स्वागत किया और सभा में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

इस पश्चात सचिव ने मेंबर्स द्वारा दिए गए मुताबिक एजेंडा की शुरुवात करते हुए एजेंडा क्रमांक १ को पढ़ा,

एजेंडा क्रमांक १

सभा अध्यक्ष की नियुक्ति करना।

सचिव ने इस सभा में सभा अध्यक्ष नियुक्त करने का एजेंडा पढ़ा और सभी मेंबर्स से अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करने को कहा।

इसपर श्री रामजी मकवाना ने श्री देवजी परमार का नाम सूचित किया और सभी मेंबर्स ने सर्वानुमति से इसपर हामी भरी।

ठराव क्रमांक १

सभी मेंबर्स ने सर्वानुमति से इस सभा के लिए श्री देवजी परमार को अध्यक्ष नियुक्त किया।

सूचक : श्री रामजी मकवाना

अनुमोदक : श्री विश्राम बोरिचा

ठराव सर्वानुमति से पारित।

Grandhe

Kris

Dmsolanki

Dambai

P.M. Sakhari

P.B. Kanchadai

J.K. Kulkarni

Deena B. Kanbi

hon. K. Chavhan

P.B. Kanchadai

पार्वती जेम. सोलंकी

M. S. ...

फिर सचिव ने श्री देवजी परमार को मंच पर आमंत्रित किया और उनकी अनुमति से मीटिंग की शुरुवात की।

एजेंडा क्रमांक २

सहकारी समितियों के सहायक रजिस्ट्रार द्वारा पारित दिनांक 28 नवंबर 2023 के आदेश द्वारा प्रबंध समिति की बरखास्त के दौरान सोसायटी के सदस्यों द्वारा योगदान किया गया धन के बारे में चर्चा करना।

सचिव ने सभी मेंबर्स को पहले एजेंडा क्रमांक २ को पढ़कर सुनाया। फिर बताया की समिति बरखास्त होने के बाद क्यूंकि सोसाइटी से पैसे नहीं ले सकते थे इसलिए सभी सदस्यों ने एक मीटिंग बुलाई थी और मैनेजिंग समिति को वापस लाने के लिए वकील की फीस, कोर्ट केस लड़ने के लिए, वगैरे के लिए इन मेंबर्स ने रुपये १५००/- प्रति मेंबर, किसीने १०,०००/- रुपये, किसीने १५,०००/- रुपये निकले थे। और कुल १ लाख ६२ हजार रुपये खर्च हुए हैं, तो उन पैसों को वापस कैसे करना है और ऑडिट में कैसे दिखाना है उसके बारे में श्री सचिन मुक्के जी से आग्रह किया की इस विषय में हमें मार्गदर्शन दे ऐसा कहा।

श्री मुक्के जी ने बताया की आप के इस प्रोजेक्ट में बहुत सारा समय व्यर्थ गया है चाहे वो शाशकीय कारन से हो या कोर्ट केस के कारन हो, पर आप लोगो ने सब ने मिलकर इसका सामना किया है और एक दूसरे के साथ से यहाँ तक पहुंचे है। अभी जो ये खर्च हुआ है १ लाख ६२ हजार यह बहुत मेंबर्स ने कंट्रीब्यूशन दिया है और इसकी नॉंध हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में हो चुकी है। अब इन सब लोगो ने अपना बड़प्पन में अपना पैसा अपना समय दिया है, तो यह पैसे उनको वापस कैसे देने है वोह आज देने है या कब देने है इसकी सिर्फ आप को अनुमति देनी है। यह १ लाख ६२ हजार रुपये कहा कहा खर्च हुए है इसकी यदि इन्होने रखी है और जिन जिन मेंबर्स ने यह कंट्रीब्यूशन दिया है उसकी भी यदि होगी। आपको आज अनुमोदन देना है की यह रुपये आप उन्हें कैसे लौटने वाले हो।

सचिव ने कहा की सोसाइटी के खाते में फिलहाल 2 बिल्डर के आए उनके ईएमडी (EMD) के 10 लाख प्रत्येक आए हैं और कुल सोसाइटी के खाते में २१ लाख ३२ हजार रुपये शेष है। किसी एक डेवलपर का चयन करना है तो उनका ईएमडी हमें वापस करना है, दूसरा EMD हम इस काम के लिए वपर नहीं सकते और इसके अलावा सोसाइटी में इतना फण्ड नहीं है की हम १ लाख ६२ हजार रुपये वापस दे सके तो उसके ऊपर श्री मुक्के जी मार्गदर्शन दे।

Devi
NBW
Deena B. Kambi
पार्वती अम. सोलंकी

J.K. Guff
Sondhe
Lina. K. Chavris
Nand
P. M. Solanki
R. N. K. Chavris
R. N. K. Chavris

इसपर श्री सचिन मुक्के ने कहा बहुत जन ने अभी तक मेंटेनेंस निकला नहीं है, तो जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स है १७२ और मैंने जैसे की पहले दो साल पहले डिसाइड किया था की कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन ५००० - १०००० हजार निकाल के रखे ताके कोई भी लीगल या कोई भी मेटर आपके सामने आये तो आप ये खर्चा कर सकते हो। ये मैंने दो साल पहले कहा यदि ऐसा करते तो आपके पास सफिशिएंट पैसे आपके पास आज की तारीख में रहता। उन्होंने कहा की कम से कम ५०००/- रुपये प्रति यूनिट निकाले, क्यूंकि आप हमेशा सब बाजू आ नहीं सकते, अपना टाइम नहीं दे सकते है और समिति आपकी तरफ से काम कर रही है तो उनके पास सफिशिएंट पैसे होना चाहिए ताके ऐसी परिस्थिति में वह आगे काम कर सके। उन्होंने कहा की सभी से फण्ड इखट्टा किया जाए।

सचिव ने बताया की यहाँ भी बहुत सारे मेंबर्स है जिन्होंने अपना मार्च २०२२ तक का भी मेंटेनेंस नहीं भारा है और वह अपने आप से भाड़े पे रह रहे है तो हम उनसे पेनाल्टी भी नहीं ले सकते।

श्री मुक्के जी ने कहा की ९० प्रतिशत आप का काम हो गया है और सिर्फ १० प्रतिशत ही बाकी है और इसके लिए आपके पास फण्ड होना जरूरी है। और यदि आपके पास फण्ड नहीं है और कुछ लीगल एक्शन ले लिया जैसे ये लोग अगर रजिस्ट्रार को चैलेंज नहीं करते तो रजिस्ट्रार आप के सर पर आके बैठ जाता और इसलिए मेरा सजेशन है की आप लोग पैसे निकाले ये आपके ही काम में आने वाले है।

सचिव ने पूछा की कुछ लोग पहले ही डेढ़ डेढ़ हजार रुपये निकाल चुके है तो उनसे फिर से पैसे कैसे ले?

श्री मुक्के जी ने कहा की जो डेढ़ डेढ़ हजार निकाल चुके है उनसे सिर्फ ऊपर के ही पैसे ले, जैसे डेढ़ हजार निकाला है तो सिर्फ साढ़े तीन हजार ले, जिन्होंने ज्यादा निकाला है तो उनसे कुछ ना ले और जिन्होंने कुछ नहीं निकाला है उनसे पुरे पैसे ले और इस तरह नलिफाय हो सकता है।

फिर सचिव ने सभी मेंबर्स से अपनी राय पूछी।

फिर श्री सलीम टोले जी ने कहा की मैं इस बात से सहमत हु की हम सब को पैसा निकाल ना ही पड़ेगा क्यूंकि बिना पैसे के तो कोई काम नहीं होता। मैं यह कंट्रीब्यूशन के लिए एग्री हु, जो भी यहाँ डिसाइड होगा वैसे कंट्रीब्यूशन करेंगे और मेरे ख्याल से यहाँ सभी लोग इस बात को एग्री करेंगे। जो इस बात से एग्री करते है तो सभी लोग अपने हाथ उठाये। तो सभी मेंबर्स ने अपना हाथ उठाकर सहमति दी।

Amolanki *Dabanki* *NPBhoj* *ABKhadia* *J.K. Gupta* *KB*
Deena B. Kenbi *Lisa. K Chavara* *प्रतिपति* *P. M. Soreli*
पार्वती देसा, सोलंकी *Jendhe* *Amma* *R. N. Nagesara*
Namin

फिर सचिव ने सभी मेंबर्स से आग्रह किया की जिन मेंबर्स का मेंटेनेंस बाकी है वह लोग कृपया पहले अपना मेंटेनेंस तो भरे और सब लोग कम से कम ५०००/- रुपियो का कंट्रीब्यूशन करे। फिर सचिव ने श्री मुक्के जी से पूछा की यह फिर हम आगे जा कर भाड़े वगैरे में दिखा सकते है क्या?

तब श्री मुक्के जी ने कहा यह सब आगे जाकर अपनी बैलेंस शीट में जाने वाला है। आपकी बिलडिंग की जो आगे लाइफ रहेगी ५० साल - १०० साल, यह बैलेंस शीट आगे जाने वाली है। आपका जो भी यूनिट नंबर होगा उस हिसाब से यह आपके नाम से आगे जाने वाली है। उन्होंने उदाहरण दिया की पहले बैंक में मैनुअली पास बुक एंट्री होती ही और अब सब कंप्यूटराइज्ड हो गया है तो सब आपके अकाउंट से ही आगे बढ़ रहा है, वैसे ही यहाँ भी होने वाला है। यह सब आपकी जुम्मेदारी है की आप सब कंट्रीब्यूशन निकाले। उन्होंने सुझाव दिया की यह पैसे आप कॅश में निकाले। उन्होंने कहा की यह आप सोसाइटी के अकाउंट में ना डाले वरना आप फिर इसे यूज नहीं कर सकेंगे। उन्होंने आगे सुझाव दिया की या आप कोई अपने सोसाइटी के मेंबर का जिसका ज्यादा इनकम टैक्स से लेन देन ना हो उनके बैंक खाते में चेक या गूगल पे वगैरे के माध्यम से जामा कराये। इसका हिसाब किताब हंड्रेड (१००%) कंटिन्यू रहने वाला है।

फिर सचिव ने सभी मेंबर्स से कितना कंट्रीब्यूशन निकालना चाहिए ये पूछने पर सभी मेंबर्स ने रुपये ५०००/- निकालने चाहिए यह कहा और अपनी मंजूरी दी।

फिर श्री किशोर भोज ने सुझाव दिया की जिसका जिसका मेंटेनेंस बाकी है उनका डिफॉल्टर लिस्ट बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर डालदे। सचिव ने जल्द ही यह डिफॉल्टर लिस्ट को सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजने की हामी भारी।

ठराव क्रमांक २

सभी मेंबर्स ने सर्वानुमतिसे मेंटेनेंस के अलावा अलग से 5000 रुपये निकालने का ठराव पारित किया और साथ में जिन मेंबर्स / टेनेंट्स ने अपना मेंटेनेंस / किराया नहीं चुकाया है उनके नाम की सूची सार्वजनिक करने का ठराव भी पारित किया।

सूचक - सलीम टोले

अनुमोदन - दीना कणबी

ठराव सर्वानुमतिसे पारित हुआ।

DmSolanki

NPBhoj

J.K. Hukh

Dalambhi

ABhorchudia

P.M. Gauri

फिर सचिव ने आये हुए मेहमान, चेयरमैन और मेंबर्स का ध्यान किया और 8वीं एसजीएम की समाप्ति की घोषणा की।

Deena B. Kanbi

Lina. K. Chawla

अतिथि

Shandha

Kiz

Whinn

Manoj R. Nakwans

पार्वती जे. सोलंकी

MINUTES OF 9TH SPECIAL GENERAL BODY MEETING HELD ON 26-5-2024 AT 4.30 PM.

मेघजी बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की नववि (9th) विशेष सर्वसाधारण सभा रविवार तारीख २६ मई २०२४ की श्याम को ठीक ४:३० बजे "श्री सी.वी.ओ.डी. जैन महाजन मुंबई का "रोमन विजन बैंकवेट हॉल", तीसरी मंजिल, ९९/१०१ केशवजी नाइक रोड, चिंचबंदर, मुंबई - ४०० ००९" में आयोजित की गई नववि विशेष सर्वसाधारण सभा का कार्य वृत्तांत (मिनट्स)।

सभा (मीटिंग) पूर्वाहन (scheduled to start at) श्याम ४.३० बजे शुरू होने वाली थी, और क्योंकि सभी मेंबर्स समय पर उपस्थित थे इस कारन सभा बरोबर समय पर शुरू हुयी।

सचिव ने सोसाइटी के सभी सदस्यों का स्वागत किया और सभा में भाग लेने के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

इसके बाद सचिव ने सोसाइटी के आर्किटेक्ट श्री राजेश पांडेजी का स्वागत किया और कुछ कारन वाश जो मेंबर्स और सोसाइटी के वकील श्री खुशनूद अख्तरजी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़े थे उन सब का भी स्वागत किया। जो मेंबर्स और वकील ऑनलाइन जुड़े थे उनको प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर दिखाया गया ताके सभी मेंबर्स उनको देख सके और वह सब सभा में उपस्थित सभी मेंबर्स को।

इस पश्चात सचिव ने मेंबर्स द्वारा दिए गए मुताबिक एजेंडा की शुरुवात करते हुए एजेंडा क्रमांक १ को पढ़ा,

एजेंडा क्रमांक १

सभा अध्यक्ष की नियुक्ति करना।

सचिव ने इस सभा में सभा अध्यक्ष नियुक्त करने का एजेंडा पढ़ा और सभी मेंबर्स से अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करने को कहा।

इसपर श्री रामजी मकवाना ने श्री देवजी परमार का नाम सूचित किया और सभी मेंबर्स ने सर्वानुमति से इसपर हामी भरी।

ठराव क्रमांक १

सभी मेंबर्स ने सर्वानुमति से इस सभा के लिए श्री देवजी परमार को अध्यक्ष नियुक्त किया।

सूचक : श्री रामजी मकवाना

अनुमोदक : श्री सलीम टोले

Jordhe

Deena B. Kanbi

RK Ratwani

Dm Solanki

Dolanki

Hira. Kchani

चार्मेली अम. सोलंकी

NBhoj

P. K. Chadi

प्रमितावत

J.K. Gupta K2

P. B. B. R. i

Manoj Manoj

ठराव सर्वानुमति से पारित।

फिर सचिव ने श्री देवजी परमार को मंच पर आने का आग्रह किया और उनका स्वागत किया।

श्री देवजी भाई परमार ने मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण किया और सभा की अध्यक्षता की। उन्होंने फिर सचिव से एजेंडा क्रमांक २ से सभा सुरु करने की अनुमति दी।

सचिव ने उनका धन्यवाद किया और सभा को एजेंडा क्रमांक २ से सुरु किया, क्योंकि एजेंडा क्रमांक १, सभा अध्यक्ष की नियुक्ति था।

एजेंडा क्रमांक २

सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से नियुक्त अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में सोसायटी बिल्डिंग के पुनर्विकास के लिए एक डेवलपर को अंतिम रूप देना / चयन करना।

फिर सचिव श्री धर्मेश सोलंकी ने बताया कि हमारे पुनर्विकास कार्य में अब तक कितनी अड़चने आयी थी और यह सब अड़चन पार करके हम इस मुकाम पर आए हैं। इसके पहले वाले डेवलपर, समर्थ इरेक्टर्स और डेवलपर्स को हम सब ने मिलकर निकाल दिया था और इसके बाद हमने टेंडर प्रक्रिया की जिसमें 6 डेवलपर्स ने टेंडर खरीदा। पर उनमें से सिर्फ 2 डेवलपर्स ने टेंडर भरा, उसमें से ऑरेंज क्लाउड के पेपर अधूरे थे और स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन ने सभी पेपर्स सोसाइटी ऑफिस में जमा कर दिए थे। 79 ए की गाइडलाइन्स के मुताबिक कम से कम 3 डेवलपर्स आने चाहिए थे, पर तीन डेवलपर्स ने टेंडर नहीं भरा और इसलिए हमने 2 बार 10-10 दिनों का एक्सटेंशन दिया और अखबार द्वारा एक्सटेंशन नोटिस भी जारी की गई थी फिर भी सिर्फ 2 ही डेवलपर्स आए। इन दोनों डेवलपर्स ने 10-10 लाख का ईएमडी (EMD) जमा करवाए हैं।

इस बीच में ही मैनेजिंग कमिटी को असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ने खारिज कर दिया और इसलिए सोसाइटी के सभी मेंबर्स ने ही सोसाइटी के आर्किटेक्ट की मदद से टेंडर ओपन किया और सिर्फ पढ़कर सुनाया था। फिर जब माननीय बॉम्बे हाई के आदेश से फिर से मैनेजिंग समिति बहाल हुयी, तब सब मेंबर्स ने दोनों टेंडर्स मैनेजिंग समिति को आगे का प्रोसेस करने के लिए दिए। फिर मैनेजिंग समिति ने एडवोकेट और आर्किटेक्ट से मिलकर दोनों डेवलपर्स से काफी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे इसपर ऑरेंज क्लाउड्स डेवलपर्स ने काफी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए और स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन ने जो पेपर्स मांगे थे आर्किटेक्ट्स के पास जमा करवाए हैं।

Dm Solanki

ABhoi

J.K. Gupta

Pandhe

Lalwani

P. M. Bhandari

P. M. Bhandari
प्रमाणित

K. S.

Deena B. Kanbi

Lina. K. Chavhan

K/S

R. S. Natwani

पार्वती जेम, सोलंकी

H. S.

फिर सचिव ने बताया कि 79 ए के दिशा-निर्देशों के मुताबिक रजिस्ट्रार ऑफ कोआपरेटिव सोसाइटीज द्वारा नियुक्त अधिकृत अधिकारी होना चाहिए और सोसाइटी के सदस्यों ने और मैनेजिंग समिति ने भी तारीख २१ मई २०२४ को असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज ई वार्ड के दफ्तर में निवेदन दिया था की वह हमारी सोसाइटी की रिडेवेलोपमेंट हेतु बुलाई गयी नववि विशेष सर्वसाधारण सभा के लिए ऑथोराइज्ड अफसर की नियुक्ति करे। पर जब कोई जवाब नहीं आया तो हम १३ से १४ मॅबर्स इस शुक्रवार तारीख २४-५-२०२४ को असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के दफ्तर में गए थे और फिर से वहा निवेदन दिया की वह हमारी विशेष सर्वसाधारण सभा में ऑथोराइज्ड अफसर की नियुक्ति करे, पर उस वक्त उनके दफ्तर में कोई अधिकारी मौजूद नहीं थे और इसलिए श्री देवजी भाई परमार ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को मोबाइल पर फ़ोन किया, तो उन्होंने बरोबर जवाब नहीं दिया और फ़ोन काट दिया।

सचिव ने बताया कि मैनेजिंग समिति फिर से खारिज हो गयी थी और हमने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में जाकर इस विषय पर स्टे लिया है, सिर्फ हमें पालिसी डिसिशन लेने का अधिकार नहीं है और इसीलिए 79 ए के दिशा-निर्देशों से आज जो भी निर्णय लेंगे वोह सभी सदस्य मिलकर निर्णय लेंगे (जनरल बॉडी रेसोलुशन), वह हम स्वीकार करेंगे। सचिव श्री धर्मेश सोलंकी ने कहा कि मैनेजिंग समिति निर्णय नहीं ले रही है, सभी सदस्य मिलकर निर्णय ले रहे हैं।

सचिव ने यह भी बताया की हमें म्हाडा द्वारा म्हाडा अधिनियम की धारा 79A की नोटिस मिली है और इस विषय पर तारीख २४-४-२०२४ को सुनवाई भी हुयी थी जिसमे हमें १२ जून २०२४ तक पुनर्विकास का प्रस्ताव म्हाडा में जमा नहीं किया गया तो म्हाडा हमारी जगह को अधिग्रहण करने की पक्रिया शुरू करेंगे। और हमें हमारी जगह को म्हाडा द्वारा अधिग्रहण से बचाना है।

इसके पहले जब डिविशनल जॉइंट रजिस्ट्रार ने तारीख ८-४-२०२४ को आदेश पारित करके जब फिर से मैनेजिंग समिति को खारिज किया था, तब सोसाइटी के बहुत सारे मॅबर्स ने मैनेजिंग समिति की गैर मौजूदगी में एक सर्वसाधारण सभा बुलिये थी और इस मीटिंग में म्हाडा से अपनी प्रॉपर्टी बचाने के बारे में और रिडेवेलोपमेंट के बारे में चर्चा हुयी थी। इस विषय पर सचिव ने श्री सलीम टोले को मॅबर्स द्वारा बुलाई गयी तारीख २८-४-२०२४ की सर्वसाधारण सभा के मिनिट्स सभी मॅबर्स को पढ़कर सुनाने की विनंती की। तब तक सोसाइटी के आर्किटेक्ट श्री राजेश पांडेजी और विकासक मेस्सेर्स स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन के श्री सरोष खान और समीर खान का आगमन हुआ और सोसाइटी के सभी मॅबर्स ने उनका स्वागत किया।

फिर सचिव ने श्री सलीम टोले जी से मॅबर्स द्वारा २८-४-२०२४ को बुलाई गयी जनरल बॉडी मीटिंग के मिनिट्स को पढ़ने की रिक्वेस्ट की।

NPBhe
 Jondhe
 Deena B. Kanbi
 R/S Nakwane
 Dmsolanki
 Dabhi
 Lina. K. Chavhan
 पार्वती देवम. सोलंकी
 P.K. Chavhan
 KB
 J.K. Chavhan
 P.M. Sachi
 प्रफ़िमास
 KB
 Naim

तब श्री मोहन वाघेला ने श्री सलीम टोले जी को बोलने नहीं दिया और बिच में ही सचिव से प्रश्न पूछा की यदि मैनेजिंग समिति खारिज हो गयी है तो आप मीटिंग कैसे ले सकते हो? आप सोसाइटी का लेटर पैड भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो।

सचिव ने बताया की मैनेजिंग समिति खारिज हो गयी थी, पर हमने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट से स्टे लिया है, यानि मैनेजिंग समिति पूरी तरह से अस्तित्व में है, सिर्फ हम कोई पालिसी डिसिशन नहीं ले सकते। क्यूंकि मैनेजिंग समिति अस्तित्व में है, हम लेटर पैड इस्तेमाल कर सकते है।

फिर मोहन वाघेला ने पूछा की आज की मीटिंग में अधिकृत अधिकारी नहीं है तो आज की मीटिंग की मान्यता क्या है? इस पर सचिव ने उनसे ही पूछा की आप कायदा बताओ की यदि अधिकृत अधिकारी ना हो तो हम हमारी सोसाइटी की मीटिंग नहीं ले सकते और हमारे घर और जमीन को म्हाडा के अधिग्रहण से नहीं बचा सकते।

इसपर मोहन वाघेला कोई भी उत्तर नहीं दे पाए और सिर्फ जान बूझकर सोसाइटी के रिडेवेलोपमेन्ट के कार्य में रुकावट लाने के लिए बे फिजूल के प्रश्न पूछने लगे, तब सभी मेंबर्स ने एक साथ मिलकर उनका पुरजोर विरोध किया।

सोसाइटी के वकील श्री खुशनुद अख्तर जी ने ऑनलाइन जवाब दिया की MCS एक्ट की ७९ ए सिर्फ गाइडलाइंस है और यह जहा मैनेजिंग समिति कुछ गलत ना करे इसके लिए है, पर यहाँ जनरल बॉडी निर्णय ले रहे है और जनरल बॉडी का रेसोलुशन सर्वोपरिय होता है। सभी मेंबर्स जनरल बॉडी मीटिंग अपनी जमीन को म्हाडा से बचाने के लिए मेजोरिटी से निर्णय ले सकते है।

मेसर्स स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के श्री समीर खान ने सभी मेंबर्स को माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के मैनेजिंग समिति के पक्ष में आये हुए आदेश को सभी मेंबर्स को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा की मैनेजिंग समिति को स्टे मिला है, सिर्फ पालिसी डिसिशन नहीं ले सकते और इसीलिए आज सभी मेंबर्स की मंजूरीसे जनरल बॉडी रेसोलुशन पास होगा, जो सर्वोपरिय है।

इसके बाद श्री गणेश मोरे ने सचिव से प्रश्न पूछा की आज की मीटिंग में अधिकृत अधिकारी नहीं है और सोसाइटी के वकील भी सिर्फ ऑनलाइन है, तो आज का मीटिंग आगे धकेलने का था, इतनी अर्जेन्सी क्या थी?

तब सचिव ने सभी मेंबर्स से पूछा की ये भाई बोल रहे है की हमें मीटिंग को आगे धकेलने का था, तो आप सब का क्या विचार है? सभी मेंबर्स ने एक जूथ होकर गणेश मोरे के प्रश्न का पुर जोर विरोध किया और मीटिंग को आगे धकेलने से इंकार किया।

Gandhe *D. Kanbi* *D. Solanki* *J. K. Kulkarni*
NB *P. B. Kanbi* *P. M. Sawarkar*
Deena B. Kanbi *Lira* *K. Chavhan* *प्रफिणस*
R. N. Babuane *KB* *पुर्वील २०११ सोलंकी* *Amir*

सचिव ने कहा की जैसे के मैंने पहले ही बताया था की हमें म्हाडा से जल्द से जल्द अपना रिडेवेलोप्मेन्ट का प्रपोजल उनके यहाँ पूत उप करने को कहा है अन्यथा वे अपनी जमीन का अधिग्रहण करेंगे और हमें पता नहीं की हमारी बिल्डिंग फिर कब बनेगी और बनेगी या नहीं और हम यहाँ वापस आ पाएंगे या नहीं। इसलिए हमें हमारी जमीन बचानी है और साथ में अपने नए घर में भी जाना है।

तब फिरसे मोहन वाघेला ने कहा की म्हाडा को कोई पड़ी नहीं है की अपनी जमीन अधिग्रहण करे। तब सचिव ने उनसे पूछा की क्या आप जानते है की म्हाडा के दादर शिंदे वाड़ी में २४-४-२०२४ की श्याम को इस विषय पर सुनवाई हुयी थी और उन्होंने हमें १२-६-२०२४ तक का समय दिया है की हम हमारा रिडेवेलोप्मेन्ट का प्रपोजल उनके यहाँ पूत उप करे अन्यथा वे म्हाडा अधिनियम की धरा ७९ ए के तहत कार्यवाही करेंगे।

मोहन वाघेला ने फिर जानबूजकर यह प्रश्न सचिव से किया की तुजे ही यह सब बात का पता होता और लोगो को क्यों नहीं?

सचिव ने कहा की है मुझे ही पता होगा ना क्यूंकि म्हाडा की नोटिस मेरे नाम से निकली है और मैं सोसाइटी का सचिव हु इस लिए मुझे तो यह जानकारी होगी ही न।

मोहन वाघेला को उत्तर देते हुए तब अल्ताफ खान ने कहा की म्हाडा की नोटिस सी - ब्लॉक के नोटिस बोर्ड पर भी तो लगी थी सभी की जानकारी के लिए, तो आप ने इस नोटिस को क्यों नहीं पढ़ा?

श्री समीर खान ने बताया कि ए ब्लॉक को नोटिस देकर खाली करवाया, उसी तरह बी ब्लॉक को नोटिस देकर खाली करवाया और सी ब्लॉक को भी नोटिस देकर खाली करवा कर तोड़ेगी क्योंकि यह सेस प्रॉपर्टी है सेस प्रॉपर्टी का मतलब किरायेदारों और मालिकों द्वारा मरम्मत नहीं की गई है। इसका मुख्य कारण है यह सेस प्रॉपर्टी हैं यानी किरायेदारों और मालिक उसकी देखभाल नहीं करते है। आज की तारीख में आप रिकॉर्ड पे मालिक नहीं हो। जब कन्वेयन्स होगा तब आप मालिक होंगे। आज तक महाराष्ट्र सरकार आपके सेस के पैसे से आपकी रिपेयरिंग कर रही है सरकारी खर्च से, इसलिए उनकी जवाबदारी से आपकी सुरक्षा के लिए बिल्डिंग खाली करवाती है क्योंकि आपकी वजह से आजू बजुवालो को इसकी तकलिफ ना हो इसले गवर्नमेंट इसका प्रोविजन रखती हैं।

Dmsolanki

Deenab

J.K. hukk

NSW's

P.K. Mahadik

K.S.

P.M. Saredi

प्रतिभा

Amr

Deena B. Kanbi

Lina. K. Chavani

Gandhe

R. N. K. K. K.

पारल. अम. सोसिटी

W. S. S.

उन्होंने और बताया के पहले वाले बिल्डर समर्थ इरेक्टर्स एंड डेवलपर का केस हाई कोर्ट में मामले का निस्तारण (disposed off) कर दिया गया है और दूसरी बात के सोसाइटी पॉलिसी निर्णय नहीं ले सकती, पर यहाँ किसी ने नहीं बताया की सोसाइटी को ओवरपावर करने का हक जनरल बॉडी को है। जनरल बॉडी कोई भी निर्णय ले सकती है और विकास के बारे में कोई भी प्रश्न हो उसके जवाब में डूंगा।

फिर सोसाइटी के आर्किटेक्ट श्री राजेश पांडे जी ने भी बताया की हमारी प्रॉपर्टी का अभी तक डी-सेस नहीं हुआ है। लॉक डाउन में म्हाडा ने एक कायदा निकाला था कि जो बिल्डिंग खतरनाक है और वह सेस प्रॉपर्टी है और मकान मालिक - किरायेदार या मालिक जो रख-रखाव के बारे में नहीं सोच रही है और बिल्डिंग खतरनाक है जिस बिल्डिंग का रखरखाव मरम्मत से परे है ऐसी बिल्डिंग को 79 ए के दिशा-निर्देशों में डाला गया, इसमें 6 महीने का लैंड लोड और 6 महीने के किरायेदारों को ऐसे दिया जाता है अगर इसमें हम विफल रहे तो म्हाडा उस संपत्ति को अधिग्रहित करेगी। और अभी म्हाडा ने एक नया सेक्शन डाला 19 मार्च को कि जो बिल्डिंग ७९ए के नोटिस में अन्तर्गत आती है उनकी सुनवाई होगी। इस पर म्हाडा ने एक महीने का समय दिया है और अगर एक महीने में हमने उनको अपना प्रस्ताव नहीं दिया तो वह इमारत म्हाडा अधिग्रहण करेगी।

श्री मोहन वाघेला ने कहा कि 6 महीनों का नोटिस हमें मिला तो और 6 महीने का वक्त है हमारे पास।

इस पर सचिव श्री धर्मेंश सोलंकी ने कहा पहली नोटिस ३० मई २०२३ को लगायी गयी थी तभी सब कुछ मैनेजिंग कमिटी में चर्चा की गई थी उसके बाद 19 दिसंबर २०२३ को नोटिस लगाई गई थी और अंतिम सुनवाई के आदेश की नोटिस भी लगीयी हुई थी और सभी लोगों को नोटिस दिखाया गया। इस विषय पर मेंबर्स द्वारा २८-४-२०२४ को बुलाई मीटिंग में भी चर्चा हुयी थी, आप उस मीटिंग में क्यों नहीं थे?

फिर सचिव ने गणेश मोरे जी से पूछा की आज आप इतने सवाल पूछ रहे हो तो कृपया सभी मेंबर्स को बताये की, की मैनेजिंग समिति खारिज होने के बाद आपने मैनेजिंग समिति को वापस लेने के लिए क्या किया कितनी बार साइन दी। आप तो हमेशा यह बोलते हो ना की भाड़ में जाए समिति और भाड़ में जाए बिल्डिंग। इस पर गणेश मोरे जी कुश सफाई नहीं दे पाए।

Dmsolanki

NPBWJ

Solanki

P.M. Solanki

J.K. Gupta

P.M. Solanki

K/S

प्राप्तियार

Mohar

Deenab. Kanbi

Liam. K. Chaudhary

Gondhe

Rigolakevane

पावली जेम सोलंकी

Mamun

इस बैठक के अध्यक्ष श्री देवजी परमार ने कहा कि आप सिर्फ विरोध ही मत करो, जो काम हो रहा है उसे सहमती भी दो। इस पश्चात सभी मेंबर्स ने मोहन वाघेला और गणेश मोरे का खूब विरोध किया की ये दोनों मिलकर सोसाइटी के पुनर्विकास के कार्य में जानबूझकर विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं और उनसे शान्ति से पुनर्विकास के कार्य में सहकार्य करने को कहा। श्री सलीम टोले ने कहा कि बहुमत विकास के लिए है, विकास के साथ है तो हम यह सब चीजों को नजरअंदाज करते हैं और विकास के काम को आगे बढ़ाते हैं इस पर सभी लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से इस चीज का स्वागत किया। तब जाके मोहन वाघेला और गणेश मोरे चुप हुए।

इसके बाद सचिव ने श्री सलीम टोले जी को २८-४-२०२४ को मैनेजिंग समिति की गैर मौजूदगी में सभी मेंबर्स द्वारा बुलाई गयी जनरल बॉडी मीटिंग की मिनट्स को पढ़ने को कहा।

फिर श्री सलीम टोले ने तारीख २८-४-२०२४ को हुए मेंबर्स की जनरल बॉडी मीटिंग की मिनट्स को पढ़ा और सभी मेंबर्स ने सर्वानुमति से इसे स्वीकार करते हुए ठराव पारित किया।

सचिव ने फिर श्री समीर खान जी से विनंती की वह अपनी कंपनी के बारे में और हमारी बिल्डिंग का पुनर्विकास वह कैसे करेंगे इसकी सभी मेंबर्स को जानकारी दे।

फिर श्री समीर खान ने सभी मेंबर्स को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनकी कंपनी के बारे में जानकारी दी।

फिर श्री समीर खान ने अपना प्रस्ताव पढ़ना शुरू किया, सीढ़ी के नीचे वाले कमरे को 300 वर्ग फुट घर, 140-200 वर्ग फुट से कम वालो को 575 वर्ग फुट क्षेत्र दिया जाएगा और 201 से 250 वर्ग फुट वालो को 650 वर्ग फुट क्षेत्र का घर दिया जाएगा। कार पार्किंग हर एक घर के रहवासियो को दिया जाएगा।

कमर्शियल और गोदाम वालो को 20 प्रतिशत बढ़ाकर एरिया मिलेगा। अगर एम.सी.जी.एम, म्हाडा में कुछ बदलाव आएंगे वैसे आपको सूचित करूंगा पर आपको दिया गया ऑफर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। कॉर्पस फंड 6 करोड़ मेरा ऑफर रहेगा ,और 250 sq ft से ऊपर वालो को १३०००/- रूपया प्रति स्क्वायर फीट मुआवजा रहेगा, गोदाम और कमर्शियल दुकान को ३५०००/- किराया देने का ऑफर दिया।

Dm Solanki *Dalwadi* *J.K. Khosla* *K.S.*
N.B. Joshi *P. Khosla* *P.M. Solanki*
Deena B. Kambli *Lira, K. Chavhan* *प्रमाणित*
Gondhe *R. Nakasara* *पालिका जे.म. सो.सं.* *M. S.*

फिर श्री समीर खान ने कहा योजना के 3 विकल्प देंगे और समिति से चर्चा कर उस विकल्प में से एक पर मंजूरी कर आगे बढ़ेंगे इस बिच श्री गोगी लखनपाल ने पूछा वाटर हार्वेस्टिंग, सोलर पैनल लगायेंगे इसपर समीर खान ने कहा वाटर हार्वेस्टिंग कम्प्लुसरी हैं और सोलर चॉइस हैं सोलर पैनल नहीं दे सकता क्योंकि इतना स्पेस नहीं है। चाहिए तो सोलर गीजर लगा देंगे ऐसा कहा।

श्री विश्राम बोरिचा ने कहा आज कल इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं तो चार्जिंग पॉइंट देंगे? इसपर श्री समीर खान ने कहा ये मुमकिन हैं चार्जिंग पॉइंट लगा के देंगे।

फिर श्री देवजी परमार ने बिल्डर का अनुभव पुचा और फंडिंग कैसे करेंगे? इसपर समीर खान ने कहा उन को 30 साल का अनुभव है और फंड वह खुद के बलबूते पर करेंगे। अगर उन्हें पैसे कम पड़े तो वह कर्ज़ लेंगे।

श्री देवशी परमार ने पूछा हमारा कन्वेयेंस कैसे करेंगे। इसपर श्री समीर खान ने कहा सोसाइटी को एप्लीकेशन करना पड़ेगा चैरिटी कमिश्नर में और सोसाइटी को कन्वेंस करने में कुछ भी दिक्कत आती है हमें हर चीज़ में मदद करेंगे और कोवेयेंस सोसाइटी के नाम पर कर के देंगे। श्री धर्मेश सोलंकी ने कहा के कोवेयेंस का प्रोसीजर सोसाइटी ने शुरू कर दिया है और डायमंड जुबली ट्रस्ट के ट्रस्टी ने भी हामी भरी है की उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन्होंने रिप्लाई फाइल नहीं किया है, और 7 जून को चैरिटी कमिश्नर की अगली तारीख है।

श्री मोहन वाघेला ने कहा हमारी यहाँ बड़े बड़े बिल्डर आए सभी लोगो ने कहा जब तक कमेटी नहीं आती आप बिल्डर तय नहीं कर सकते। आज भी कमेटी नहीं है और आप वापस आ गए ? पहले भी कमेटी नहीं थी आपने 72 लोगो का साइन लिए और चेक दिए जो बाउंस हो गए थे फिर आप पर कैसे विश्वास रखे कि आप हमारी बिल्डिंग डेवलप करेंगे?

इस पर श्री समीर खान ने कहा कि आपको उच्च न्यायालय के आदेश सुनाता हूं मैनेजिंग समिति को स्टे मिल गया है और वह काम कर सकती है और न्यायालय का यह आदेश है कि कोई नीतिगत (policy decision) निर्णय नहीं ले सकती, जनरल बॉडी के पास ताकत है कि समिति की शक्ति को खत्म किया जा सकता है और निर्णय ले सकते हैं। और श्री समीर खाना ने चेक बाउंस की बात, की मैंने किसिको चेक डालने की बात नहीं की और किसका चेक बाउंस हुआ तो आप बताए? इसपर मोहन वाघेला कोई उत्तर नहीं दे पाए। समीर खान ने कहा मैंने लोगो से कहा था जब मेरा प्रस्ताव मंजूर होगा तब ही आप चेक डाले और किसका चेक बाउंस हुआ है तो बताए इसपर मोहन वाघेला कोई जवाब नहीं पाए।

Dmsolanki *Dabhi* *J.K. Khurda* *Pmsolanki*
NB loj *PB Khurda* *KS* *प्रशासक* *मोहन*
Deena & Kanab *Lina. K Chasnia*
Gondhe *Rajlakshane* *पारिवर्ती सम. सोलंकी* *Wamin*

फिर श्री मोहन वाघेला को कोई और चिज़ लड़ने नहीं मिली तो उन्होंने समीर खान से कहा बिल्डिंग गिरी तब मैंने आपको नहीं देखा इसलिए सभी लोगो ने मोहन वाघेला से नराज़ होकर कहा आप यह जान बुझकर लोगो को गुमराह कर रहे हैं और मीटिंग का टाइम बारबाद कर रहे हैं इसपर श्री किशोर भोज ने कहा कि किसी ने भी चेक डिपॉजिट नहीं किया था। श्री सलीम टोले ने कहा यहाँ विषय को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। हम पुनर्विकास को आगे कैसे ले कर जाए उसपर बात करे।

श्री अल्ताफ खान ने कहा टेंडर द्वारा डेवलपर बुलाये गए हैं, हर चिज़ कमेटी स्कूटनी कर रही हैं, आर्किटेक्ट को हर चिज़ पूछी जा रही है, एडवोकेट से लीगल ओपिनियन भी ले रहे है तो घूम फिर कर लोगो को गुमराह क्यों कर रहे हैं? पुनर्विकास का काम आगे कैसे हो उसपर कोई बात नहीं करता? इसपर सब लोगो ने मोहन वाघेला पर रोश दिखाया.

फिर श्री धर्मेश सोलंकी ने कहा पिचली बात क्यों कर रहे हैं यहाँ बिल्डर के साथ जाना है तो कैसे हम कानूनी रूप से आगे चले इसपर बात करे ताकी हम आगे किसी भी तरह से फसे नहीं? इसपर सभी लोगो ने सहमति जतायी। फिर श्री धर्मेश सोलंकी ने कहा हम आर्किटेक्ट राजेश पांडे से पुचा की आगे हम कैसे बढ़े क्योंकि ऑरेंज क्लाउड डेवलप भी आया नहीं और नाही उनकी तरफ से कोई डॉक्यूमेंट पूरे सबमिट हुए हैं। इसपर श्री राजेश पांडे जी ने बताया कि लास्ट मीटिंग में ही बताया गया की ऑरेंज क्लाउड डेवलपर ने वक्त पर डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा कर पाये थे। स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन ने सभी डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए और कहा ऑरेंज क्लाउड के डॉक्यूमेंट्स नहीं आ रहे तो निकाल दिया जाए क्युकी सबसे महत्वपूर्ण बात की 79 ए नोटिस आपको मिली है तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए इसलिए स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन को नियुक्ति पत्र दे कर कंसेंट जमा करा दे, ताकी 79 ए नोटिस आप पर लागू ना हो। पुराने डाक्यूमेंट्स 1995-1996 के डाक्यूमेंट्स जल्द से जल्द तैयार करके रखेंगे तो कंसेंट करते वक्त अच्छा रहेगा। फिर श्री धामेश सोलंकी ने कहा ऑरेंज क्लाउड डेवलपर को काफी चांस देने के बावजूद वे विफल रहे, डाक्यूमेंट्स जमा नहीं कर रहे। इसपर राजेश पांडे जी ने कहा की उनहे मीटिंग में भी बुलाया पर ऑरेंज क्लाउड डेवलपर ने मीटिंग में आने से मना किया और कहा अगर मुझे नहीं सिलेक्ट कर रहे तो मेरा EMD वापस कर दिया जाए क्योंकि हम मीटिंग में नहीं आएंगे और उन्होंने आने से साफ मना कर दिया।

फिर श्री धर्मेश सोलंकी ने श्री गणेश मोरे और मोहन वाघेला को सवाल / डाउट पुचा? इसपर गणेश मोर ने श्री समीर खान से पूछा की आगे जाके कोई परशानी होगी या बाहर तकलीफ कोई करता है तो उसका जोखमदारी कौन लेगा? इसपर श्री समीर खान ने कहा लीगली हो या कोई भी समस्या हो सब चिज़ की जोखमदारी हम एक डेवलपर के रूप में लेंगे। इस पर सभी लोगो ने तालियो से खुशी जहीर की।

NBBGj Debraj
 Deena B. Kambi
 Vinay K. Chavhan
 Dharmesh Solanki
 P. K. Chaudhary
 P. M. Solanki
 J. K. Gupta
 गणेश मोर
 अर्जुन सोलंकी
 राजेश पांडे
 सलीम टोले
 अल्ताफ खान
 किशोर भोज
 मोहन वाघेला
 समीर खान

इसपर श्री किशोर भोज ने श्री गणेश मोरे और मोहन वाघेला को कहा की अब जो तकलीफ दे रहे हैं उनका साथ मत दो और उन्हें कहां के तकलीफ मत दो। इसपर श्री मोहन वाघेला ने कहा जो तकलीफ दे रहा है उसके पास जाना पड़ेगा सब मिलकर के उन्हें कहां की आप तकलीफ मत दो। इसपर सचिव श्री धर्मेश सोलंकी ने कहा तकलीफ आएगी तो हम सब मिलकर देख लेंगे। जबरजस्ती सोये हुए को जगने की मत करो जबर्जस्ती का रोड़ा मत डालो और जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम सबको खड़ा रहना पड़ेगा। बिल्डर लग गया इसका मतलब सब बिल्डर ही देखेगा ऐसा नहीं है। श्री धर्मेश सोलंकी ने गणेश मोर और मोहन वाघेला को कहा आप लोग भी हमारे साथ आओ और आगे काम बढ़ाओ इसपर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

फिर श्री धर्मेश सोलंकी ने कहा डेवलपर का चयन के मुद्दे पे आते हैं आपने स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन का भी सुना और ऑरेंज क्लाउड का भी पता चला अगर आप स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन के साथ जाना चाहते हो तो हाथ ऊपर किजिये सभी लोगो ने हाथ ऊपर किया।

सिर्फ गणेश मोरे, मोहन वाघेला और दिनेश जोगड़िया ने हाथ ऊपर नहीं किया। इसपर धर्मेश सोलंकी ने कहा आपका भी सहयोग चाहिए। इसपर इन लोगो ने कोई जवाब नहीं दिया और इस बिछ गणेश मोर, मोहन वाघेला और दिनेश जोगड़िया मीटिंग छोड़ कर चले गए।

सचिव ने फिर लोगो से पूछा की क्या किसीका स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी की नियुक्ति पर विरोध है और है तो कृपया अपना हाथ उठाईये। किसीने अपना हाथ नहीं उठाया।

फिर सचिव ने पूछा की क्या किसी को ऑरेंज क्लाउड कंपनी को नियुक्त करना है? यदि आपका जवाब हां है तो अपना हाथ उठाईये। किसीने अपना हाथ नहीं उठाया।

फिर श्री देवजी परमार ने कहा आज बहुमती से डेवलपर पास हो गया है तो हम आगे बढ़े इसपर सभी लोगो ने सर्वनुमति से स्टर्लिंग कंस्ट्रक्शन को नियुक्त किया और नियुक्ति का ठराव पारित किया।

इसके साथ मेघजी बिल्डिंग के पुनर्विकास के लिए डेवलपर नियुक्त करने की खुशी में सभी मेंबर ने तालियो से डेवलपर का स्वागत किया और अपनी खुशी व्यक्त की।

सूचक: दीपक मकवाना

अनुमोदन: शांताराम सालुंखे और गीता लॉडे

ठराव बहुमति से पारित हुआ।

P.M. Solanki

Dmsolanki

Solanki

J.K. Gupta

प्रशासक

NBleji

Bhambhani

Kiz

Prandee

Prandee

Deena B. Kanbi

Lira. K. Charsia

पार्वती जे. सोलंकी

R.N. Natwani

एजेंडा क्रमांक ३

सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को विकास समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी और पुनर्विकास से जुड़े अन्य दस्तावेजों सहित संयुक्त पुनर्विकास के लिए आवश्यक सभी विलेखों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत करना।

फिर श्री धर्मेश सोलंकी ने सभी मेंबर्स को एजेंडा क्रमांक ३ पढ़ कर सुनाया और कहा की जैसे की हम पहले ही बता चुके हैं की मैनेजिंग समिति के पास पालिसी डिसिशन लेने का अधिकार नहीं है और जैसे की आज की मीटिंग में सभी निर्णय मेंबर्स ही ले रहे हैं तो क्यों ना आप मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स को हम सब मिलकर पावर ऑफ अटॉर्नी (POA) दे और सोसाइटी के पुनर्विकास के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब तक मैनेजिंग समिति के पास पालिसी डिसिशन के अधिकार नहीं आते, तब तक हम हमारे घर के बिना कैसे रहे? यह POA तब तक वैध होगा जब पुरा पावर मैनेजिंग कमेटी के पास नहीं आता तब तक वह लोग आगे के कार्य को संभालेंगे और जैसे ही मैनेजिंग कमेटी के पास पालिसी डिसिशन का अधिकार आ जायेगा तब यह POA के पावर खत्म हो जायेगा या हम इसके बढ़ाने के बारे में फिर निर्णय लेंगे।

फिर सभी मेंबर्स ने निम्नलिखित मेंबर्स के नाम POA के लिए सूचित किये,

- १) श्री किशोर भोज
- २) श्रीमती गीता लोंडे
- ३) श्रीमती पार्वतीबेन सोलंकी
- ४) श्री रामजी मकवाना
- ५) श्रीमती दीना कणबी
- ६) श्री देवजी परमार
- ७) श्री सलीम टोले
- ८) श्रीमती लीना चारणीय
- ९) श्री विश्राम बोरिचा

सभी मेंबर्स ने अपना हाथ उठाकर इन सभी नामों पर अपनी सहमति दिखाई।

फिर मोहन वाघेला ने सवाल किया की इसमें अध्यक्ष, सचिव और खजिनदार कौन हैं।

श्री धर्मेश सोलंकी ने उत्तर दिया की यह कोई समिति नहीं बन रही है, यह सिर्फ हम मेंबर्स का समूह है जो हम सब मेंबर्स का प्रतिनिधत्व करेंगे।

श्री धर्मेश सोलंकी ने बताया की इन POA धारक के पास लिमिटेड शक्तिया होगी और ये अस्थायी शक्ति होगी और यदि जरूरत पड़ी तो यह शक्तिया हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद इस POA में इन मेंबर्स की क्या क्या शक्तिया होगी, इसके बारे में चर्चा की गयी।

Dmsolanki *Dolanki* *J.K. Jha* *पुत्रिका* *Prandhe*
NP Bhoj *PK Khande* *P. M. Sakhari* *Kiz* *पार्वती जे.म. सोलंकी*
Deena B. Kanki *Lin. K. Chasara* *Kiz* *Prandhe*
Rishat esane

और इसी के साथ ऊपर दिए गए नव मेंबर्स को एक POA के माध्यम से तय किये गए मुताबिक सभी मेंबर्स की ओर से शक्तिया (Rights) देने का सर्वानुमतिसे ठराव पारित किया।

इस के बाद श्री धर्मेश सोलंकी ने सुझाव दिया की हमें पहले नियुक्त डेवलपर के साथ एक MOU एम.ओ.यू साइन करना चाहिए और इसकी वैधता ६ महीने की होगी और या यह सिर्फ मैनेजिंग समिति नहीं आती तब तक की होगी। उसमें ही नियम और शर्त डालेंगे वैसे ही

ही डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी डालेंगे अगर डेवलपर आगे जाके काम नहीं आया तो हम उनको रिजेक्ट कर सकेंगे। इसपर समीर खान ने कहा जैसे आप लोग खुदको सिक्योर कर रहे हो वैसे हम दोनों के टर्म्स एग्रीमेंट में दाल के ही हम आगे बढ़ेंगे। फिर सभी मेंबर्स ने इस MOU में क्या क्या उद्देश्य होंगे इसकी चर्चा की। साथ में यह भी तय किया की यह MOU पहले सोसाइटी के वकील को दिखाकर और फिर बिल्डर के वकील से चर्चा करके तय किया जाए।

फिर श्री धर्मेश सोलंकी ने कहा कि जब तक हमारी सोसाइटी का कन्वेयन्स सोसाइटी के नाम पर नहीं होता, तब तक डेवलपर से कोई DA SIGN नहीं होगा।

श्री धर्मेश सोलंकी ने कहा की हमें पहले की कमेटी से इस कमेटी को पूरा दफ्तर नहीं मिला है और अगर आगे कुछ दस्तावेज बनाने के लिए जरूरत लगी तो डेवलपर इसमें हमें मदद करे। इसपर श्री समीर खान ने हमी भरी।

फिर श्री धर्मेश सोलंकी ने डेवलपर से कहा की आप हमारे पीओए होल्डर्स, मैनेजिंग कमेटी और हमारे एडवोकेट और आर्किटेक्ट को पुच कर ही आगे काम करे क्योंकि इस से ट्रांसपेरेन्सी (पारदर्शिता) रहे और इस कंडीशन पर डेवलपर ने उनकी सहमति भरी और डेवलपर ने सभी शर्त स्विकारी।

फिर डेवलपर समीर खान ने सोसाइटी का प्रॉपर्टी टैक्स भी पे करेंगे ऐसा बताया। Certification of Tenants बहुत जरूरी है उससे ही इस लिए हमें सभी लोगो से पुराने दस्तवेज चाहिए तभी म्हाडा से एरिया का पता चलेगा और श्री सोलंकी ने सभी लोगो से अपने-अपने पुराने दस्तवेज सोसायटी कार्यालय में जमा करने को कहा।

श्री राजेश पांडे जी बताया की डेवलपर को आगे बढ़ाना हो तो कंसेंट आपको देना होगा ताकी वह म्हाडा में डाल सके। जितना जल्दी जमा कर सकते हैं ताकि अच्छा होगा तब ७९ए नोटिस से बच पायेंगे। श्री गणेश मोरे ने सवाल किया कि हम बिना development agreement साइन किये CONSENT कैसे देंगे इसपर समीर खान ने कहा पहले appointment लेटर फिर consent और फिर DA sign होगा इसपर सभी लोगो ने अपनी सहमति जताई और पीओए होल्डर को पावर दीजिए एम.ओ.यू साइन करना का, पर फिर सभी (मेजोरिटी) मेंबर्स का MOU पर साइन लेने का सर्वानुमति से ठराव पारित हुआ।

ऊपर के सभी ठराव के लिए,

सूचक: अलताफ खान

NBlej
Deena B. Kanbi
P.M. Solaanki
Lira, K. Chandra
श्री धर्मेश सोलंकी
J.K. Gupta
प्रकाश
Gandhe
KJ
Dhanraj

अनुमोदन: इमरान मुकादम।
ठराव सर्वानुमति से पारित

एजेंडा क्रमांक ४

अगली कार्यवाही की जानकारी लेने के लिए (यदि कोई हो)।

क्योंकि इस सभा में और कोई विषय नहीं था, इस लिए सभा अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्ति की गयी।

Debniki

Imbolanki

J.R. Gupta

NBle

ABKhadis

P. M. S. K. R.

...

Kz

पुनर्विचार

Gondhe

Deena B. Kanbi

Lina. K. Chavara

ABNabawany

राजेशी जे. सोलंकी

...

ANN-4

INTRODUCTION OF NEW MEMBERS APPROVED BY MANAGING COMMITTEE IN PLACE OF ORIGINAL MEMBERS OF THE SOCIETY AND ASSOCIATE MEMBER 2023 - 2024.

Sr. No	Flat No.	Floor	Wing	Original Name of the Members	New Name to be Updated	Remark
1	19	2 nd .	C	Noormohamed Vazir Barmare (deceased)	Mrs. Raziya Noormohamed Barmare	Legal Heir
2	19	1 st .	A	Yusuf Latif Temrikar	1. Bilkis Yusuf Temrikar 2. Yasin Yusuf Temrikar 3. Hanif Yusuf Temrikar 4. Mushtaque Yusuf Temrikar 5. Sajjad Yusuf Temrikar 6. Farida Hamid Kazi (Married daughter of Mr. Yusuf Latif Temrikar) 7. Rizwana Faiyaz Kazi (Married daughter of Mr. Yusuf Latif Temrikar)	Legal Heirs
3	11	1 st .	A	Sadik Ali Mukadam	Imran Sadik Mukadam	Legal Heir

Dm Sobani

SECRETARY

J.K. Gupta

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

P.M. Sobani

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

Bh. Chahal

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

N.P. Bhoj

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

Delia

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE



List of Tenancy Transfer 2023 - 2024

Sr. No	Room, Godown, Shop No.	Floor	Wing	Original Name of the Tenant	New Name for Tenancy Transfer	Remark
1	Room no. 39 A	3 rd	A	Mr. Badhalal Teja Koli	Mr. Girdhar Badha Koli	Legal Heir
2	Room no. 21	3 rd	C	Mrs. Joana Luise Lobo	Mr. Mingel Francis Barretto	Legal Heir
3	Room no. 11	1 st	B	Mr. Kashinath Shinde	Mr. Yashwant Kashinath Shinde	Legal Heir

Pm Solanki

J. K. Gupta

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE



Pm Bhadani

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

Pm Sorathi

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

NP Bhoj

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

Pm Datar

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE



AUDITOR'S REPORT

To

THE MEMBERS,

of MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED,

We have audited the attached Balance Sheet of MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED as on March 31, 2024 and Income and Expenditure account for the year ended March 31, 2024. These financial statements are the responsibility of the Society. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in financial statements. The Audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management as well as evaluating overall financial statement presentation. We believe our audit provides reasonable basis for our opinion.

1. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
2. The transaction of the society, which have come to our notice, have been power of the society
3. In our opinion, proper books of accounts as required by Maharashtra Co-Operative Society Act 1960 and rules and bye-laws of the society have been kept by the Society so far as it appears from our examination of those books.
4. The Balance Sheet, Income & Expenditure account dealt with by this report are in agreement with the Books of Account.
5. In our opinion and to the best of information and according to the explanations given to us, the accounts thereon give a true and fair view *subject to observation given in Annexure to Auditor's report:*
 - a. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Society as at March 31, 2024.
 - b. In case of Income & Expenditure account for the year ended on that date.
6. The Society has awarded "B" Audit class for the financial year 2023-24.

Sachinn Mukke

SACHINN MUKKE
M.Com., G.D.C. & A.M.B.A., D.T.M.
33 MUMBAI.

FORM NO.1
Audit Memo (for all types of Co-op Societies)

Name of the Society : MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPHOUSING SOC. LTD.

Sr. No. of the audit memo as per audit register: 39

Full registered address: Bldg No C Block, Shivdas Chamsi Marg, Mumbai -400009

Taluka or Block : Mumbai

I) Audit classification "B"

Disctrict : Mumbai

II) Audit classification - "B"

Given during the last 3 audits

Registration Number : BOM/W-E/HSG/(TC)/392/1985-86

Date of registration : --

Area of operation : E Ward

No. of Branches, Depots and Shops: NIL

(Give separate figures)

1. Audit Information

1) Full Name, designation and head Quarters: Sachinn Mukke

*Shop No 5, Parel Mahatma CHS, Bhoiwada,
Parel, Mumbai 400012.*

2) Period covered during the present audit: 01-04-2023 to 31-03-2024

3) Date on which : 1) Audit commenced: 28TH Jul 2024

2) Audit Completed: 30th Jul 2024

3) Audit Memo Submitted: 30th Jul 2024

2. Membership.

i) No. of Members : (a) Individuals (i) Ordinary 77

(ii) Nominal -

(iii) Sympathizer -

(b) Societies -

(c) Others -

Give details of the other members if any.

TOTAL:

77



ii) Have new members been duly Admitted? Have they paid Entrance Fee?	YES
iii) Are their written applications in order and are they filed properly?	YES
iv) Is the member's register kept in Form "I" prescribed under Rules 32 and 65 (I) of the M. C. S. Rules 1961?	YES
v) Is the list of member's kept in Form "J" under Rule 33 of the M.C.S. Rules 1961?	YES
vi) Have due remarks been passed against names of the deceased, dismissed or resigned members in the member's register?	YES
vii) Are resignations in order and are they duly accepted?	N.A.
viii) Have nominations made under rule 25 of the M.C.S. Rules 1961 been duly entered in the member's register under rule 26?	No

3. Shares :	
(i) Are applications for shares in order?	NO
(ii) Is share register written up-to date?	NO
(iii) Do the entries in share register tally with entries in the cash book?	NO
(iv) Is share ledger written up-to-date?	NO
(v) Do the total of share ledger balances tally with the figures of share capital in the balance sheet?	NO
(vi) Have share certificate been issued to the share holders for all the shares subscribed?	NO
(vii) Are shares transfers and refunds in accordance with the provisions of Bye-laws, Act and Rules?	NO
4. Outside Borrowings :	
(i) What is the limit fixed in the Bye-laws for Borrowings of the society?	As per Rule No.35 of MCS Act.1961
(ii) Has is been exceeded?	Not Applicable
(iii) If so, state whether necessary permission has been obtained from the competent authority?	Not Applicable
5. Meetings :	
(i) Gives dates of :-	
(a) Annual General Meeting	30 / 09 / 2023
(b) Special General Meeting / Extra ordinary Meeting	03
(ii) State the No. of meeting held during the period as follows:-	
(a) Board of Managing Committee Meetings	21
(b) Executive or Sub-Committee Meetings	No
(c) Other Meetings	No
6. Rectification Reports :	



<p>(i) Has the society submitted audit rectification reports of the Previous audit memos? If so give dates of submission. If Not, state the reason for non-submission.</p> <p>(ii) Have any important points mentioned in the previous audit memos been neglected by the Society? If so, state them in general remarks.</p>	<p>Submitted</p> <p>Previous audit Same to General Remark</p>
<p>7. Audit fees:</p> <p>(i) Give amounts of audit fees assessed – State Period for which Assessed – State the date of recovery of audit fees, Names of Treasurer and the amount credited (give no and date or treasury challan)</p> <p>ii) If audit fees have Not been paid by the society give details about outstanding audit fees and reasons for non repayment</p>	<p>Rs. 16,300/- Paid 2021-2022</p> <p>-</p> <p>Not Applicable</p>
<p>8. Internal or Local Audit :</p> <p>i) If there is internal or local audit, state by whom done, period covered and whether memo is on the record of the Society.</p> <p>ii) State whether there is a proper co-ordination between Statutory Auditor and Internal Auditor.</p>	<p>No Internal Audit</p> <p>Not Applicable</p>
<p>9. (A) Managing Director / Manager / Secretary :</p> <p>(i) Name of the Officer</p> <p>(ii) Pay Drawn Grade</p> <p>(iii) State other allowance, if any, any facilities given such as rent free quarters etc.</p> <p>(iv) State whether he is a member.</p> <p>(v) If so, whether he has borrowed or has been given any credit facilities? State the amount borrowed and the amount of overdue, if any.</p> <p>(vi) If any other amount due from him, give details</p> <p>(B) Obtain a list of staff showing names, designations, qualifications, scale present STAFF scales present pay and allowances given, dates from which employed, Security furnished etc.</p>	<p>MR DHARMESH SOLANKI Rs.Nil Hon. Secretary</p> <p>No</p> <p>Yes</p> <p>No</p> <p>Not Applicable</p> <p>No permanent Staff employed.</p>
<p>10. Breaches :</p> <p>1. Does the Society posses a copy of the Act, Rules And its registered Bye-laws?</p> <p>2. Give only numbers of breaches of the Act, Rules and Bye-laws?</p> <p>i. Section Nos.</p> <p>ii. Rules Nos.</p> <p>iii. Bye-laws Nos.</p> <p>3. Have any rules been framed under the Bye-laws? Are they approved by appropriate authority? Are they properly followed?</p>	<p>Yes</p> <p>See General Remark</p> <p>No</p>




<p>11. Profit and Loss :</p> <p>(i) What is the amount of profit earned or loss incurred during the last co-operative year?</p> <p>(ii) State how the net profits are distributed? (In case of non-business societies, figures of surplus or deficit may be given against queers No.11 (1) above)</p>	<p>As per Income & Expenditure A/c</p> <p>Not Applicable</p>
<p>12. Cash, Bank Balances and Securities :</p> <p>(a) Cash :</p> <p>(i) Count cash and sign the Cash Book stating the amount so counted and date on which counted.</p> <p>(ii) Who produced the cash for counting? Give his name and designation. Is he authorized to keep cash?</p> <p>(iii) Is it correct according to the Cash book?</p> <p>(iv) Are arrangement for safety of cash in safe and cash in-transit adequate?</p> <p>(b) Bank Balance :</p> <p>Do the bank balance shown in Bank pass books or Bank Statements and Bank Balance certificates tally with such Balances shown in books of accounts? If Not, check Reconciliation statements.</p> <p>(c) Securities :</p> <p>(i) Verify securities physically and see whether they are in the name of Society.</p> <p>(ii) Are dividends and interest being duly collected?</p> <p>(iii) If securities are lodged with the Bank, are relevant certificates obtained?</p> <p>(iv) Is investment register kept and written up-to-date?</p>	<p>Cash Bal Tally as on 30/07/2024</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Yes</p> <p>Yes</p> <p>Not Applicable</p> <p>Yes</p> <p>Not Applicable</p> <p>No</p>
<p>13. Movable and Immovable Property :</p> <p>(i) Are relevant registers maintained and written up-to date?</p> <p>(ii) Verify property physically and obtain its list. Do the balances tally with balance sheet figures?</p> <p>(iii) In case of immovable property including lands, verify title deeds and see whether they are in the name of the society.</p> <p>(iv) Is the property duly insured where necessary? If so, give details in general remarks?</p> <p>(v) Depreciation:</p> <p>(i) Is due deprecation charged?</p> <p>(ii) State the rate of depreciation charged on various Assets.</p>	<p>Yes</p> <p>Yes</p> <p>Lease hold Land</p> <p>No</p> <p>N.A.</p> <p>N.A.</p>
<p>14. Have you discussed the draft audit memo in the Board or Managing Committee Meeting? If Not State reasons for the same.</p>	<p>Yes</p>

Sachinn Mukke

SACHINN MUKKE
M.Com., G.D.C. & A.M.B.A., D.T.M.
33 MUMBAI.

FORM NO.28
Audit Memo (Co-operative Housing Societies)
Part - II
MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OP HOUSING SOCIETY LIMITED
AUDIT PERIOD: 1.4.2023 TO 31.3.2024

<p>A. Borrowings:-</p> <p>1. State the loans obtained by the Society for various purpose from Government and other agencies</p> <p>2. Are repayments of loans punctual?</p> <p>3. Are all conditions laid down for grant of Various loans and credits observed? Note Breaches, if any.</p> <p>4. Are necessary documents executed in favour of the authority sanctioning the loan?</p>	<p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p>
<p>B. Government Financial Assistance :-</p> <p>1. What is the amount of Government subsidy sanctioned and received by the society?</p> <p>2. Has Government sanctioned any amount for land development? If so, state the amount. Have development expenses exceeded the Said amount?</p>	<p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p>
<p>C. Membership :-</p> <p>1. State whether in case of backward class co-operative housing societies, certificates from the social welfare officers are obtained for their eligibility to membership and obtaining of financial assistance?</p> <p>2. State whether certificates are obtained from officers of the concerned industry in case of the subsidized industrial housing scheme.</p> <p>3. Have declarations been obtained from members that they and their family members do Not own lands or houses in the area of operation of the society as per provisions in the bye-laws?</p>	<p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>No</p> 
<p>D. Lands and their developments :-</p> <p>1. State whether lands for constructions of houses have been secured, purchased or obtained on lease. Give details of the lands, stating total area, survey Nos. and C.T.S. Nos. if any, price for which purchased, lease rent etc.</p>	<p>Not produced at the time of Audit</p> <p>Out of 3 Buildings 2 structures collapsed</p>

<p>2. See the title deeds and ascertain whether they are properly executed in favour of the Society?</p> <p>3. State how the lands has been utilised for :- I. Construction of houses ii. Construction of roads iii. Open spaces iv. Other purpose (give details)</p> <p>4. Have the layouts and plans for development been approved by the Municipal authorities before actual commencement of the work?</p> <p>5. Have completion certificates been obtained from appropriate authorities for drainage, water supply, roads, etc. before construction work of buildings is commenced?</p>	<p>Yes</p> <p>Yes, Building is already constructed.</p> <p>Yes, Building is already constructed</p> <p>Yes, Building is already constructed</p>
<p>E. Construction of Buildings :- i. Have building constructions commenced? ii. State the No. of houses or flats constructed and under construction</p> <p>iii. Have the completed houses and flats allotted to members?</p> <p>2. Are building constructed on contact basis? See the terms and conditions of contracts and state whether they have been properly observed. Note breaches, if any.</p> <p>3. Are these contracts properly sanctioned by the competent authority as per bye-laws of the Society?</p> <p>4. Have tenders or quotations been called after giving due advertisements in local news papers? If the work are Not given to the contractors quoting the lowest figures, see whether reasons for the same are recorded.</p> <p>5. Are contractors paid after necessary work-progress certificates are obtained from the Architects? Are running and final bills obtained before payments are made to the Contractors?</p> <p>6. See the terms on which the architects are employed. Are there any breaches?</p> <p>7. See whether completion certificates have been obtained from the qualified engineers and architects, stating that the constructions</p>	<p>Yes, long back Total 77 units,</p> <p>Yes</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Building already Constructed</p>



<p>have been completed according to approved plans, specifications and other terms of contracts.</p> <p>8. Is a property register kept in proper form? Is it written up-to-date?</p> <p>9. When buildings are built departmentally, state whether the following books are kept and written up-to-date :-</p> <p>i. Job registers & measurement books.</p> <p>ii. Stock registers.</p> <p>iii. Are valuation certificates from qualified engineers and/or architects obtained?</p> <p>iv. Is expenditure allocated properly between items of capital and revenue nature?</p> <p>10. State whether buildings have been constructed according to the original plans and estimates submitted with the loan applications and which are approved by the competent authority. Are there any deviations? If so, are they got approved from the competent authority?</p> <p>11. In case of flat-owners societies, see whether titles to the land have been transferred in the name of the society.</p> <p>12. Are buildings and other constructions got Insured?</p> <p>13. In case of flat-owners societies, have the promoters fulfilled their obligations as per agreements entered with them by the members prior to the registration of the society?</p> <p>14. Examine the agreements entered into with the promoters and see whether they are in the interest of the society.</p> <p>15. Has the society executed lease deeds in favour of members for giving plots and/or buildings on lease to them?</p> <p>16. Has the society created sinking fund as per provisions of the bye-laws?</p> <p>17. Examine the basis on which monthly rents or contributions are fixed in case of tenant</p>	<p>Not Produced before us</p> <p>)</p> <p>)</p> <p>) Not Applicable</p> <p>)</p> <p>)</p> <p>Building already constructed.</p> <p>No</p> <p>No</p> <p>Yes</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Not Applicable</p> <p>Municipal Tax, Water Charges, Electricity Bill Etc. Contribution per months collect</p>
--	--



<p>co-partnership societies or flat owners societies and see that the following items are adequately covered –</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Amounts required for re-payment of loan installments. ii. Municipal and other taxes. iii. Lease rent iv. Service charges and common expenses. v. Contribution to the sinking fund. 	<p>Yes As per property Area Not Applicable As per Managing Committee Rules As per Bye laws</p>
<p>F. Loans to Members :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Are recoveries of loans punctual? 2. State the amounts of overdue 3. State what steps are being taken to recover Overdue 	<p>Not Applicable Members Dues Rs. /- Not Applicable</p>
<p>G. Expenditure :- Has the expenditure been approved by the Managing Committee from time to time?</p>	<p>Yes</p>

Sachinn Mukke

SACHINN MUKKE
M.Com., G.D.C. & A.M.B.A., D.T.M.
33 MUMBAI.

MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OP HSG. SOC. LTD.

Mazgaon, Mumbai 400009

STATUTORY AUDIT FOR THE YEAR 2023-24

PART-III

(1) Schedule: I

Transaction involving infringement
of provision of Act and Rules and Audit Memo.
Bye-laws.

As per General Remarks Under

(2) Schedule: II

Particulars of sums which ought to
have been, but have not been taken
in to accounts.

Nil

(3) Schedule : III

Improper and Irregular payments
Audit Memo.[If Any].

As per General Remarks Under

(4) Schedule : III-A

Irregularities in the realization of
moneys.

Nil

(5) Schedule: IV

List of doubtful debts

Nil

(6) Schedule: IV-A

List of movable and immovable
Property and other assets considered
doubtful of realization.

No such property

Sachinn Mukke

SACHINN MUKKE
M.Com., G.D.C. & A.M.B.A., D.T.M.
33 MUMBAI.

MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE HSG. SOC. LTD.
AUDIT PERIOD 01/04/2023 TO 31/03/2024
AUDITORS REPORT GENERAL REMARKS, OBSERVATIONS AND SUGGESTION

1. Income & Expenditure & Balance Sheet is prepared based on accrual/mercantile basis concept which is the general accounting policy followed universally. The revenues recognitions have also been accounted on accrual basis
2. The society is advised to update all statutory records as per law and update the same time to time. As of date records are updated as per law.
3. Monthly expenses should be approved in the Managing committee meetings.
4. The Society should take necessary steps to recover all the outstanding dues from members which are overdue for long period of time.
5. Nomination should be obtained from all the members as per Rule 25 of M C S Act 1961.
6. Society must charge Sinking fund and Repairs fund as per Bye-laws.
7. Above fund must be invest in fixed deposits.
8. Society's major number of Members leave the Society because of 2 Building collapsed. Committee should work on Re-development as soon as possible for that approach competent authorities.

We are very much thankful to the office bearers of the society for their co-operation during the course of our audit.

Sachinn Mukke

SACHINN MUKKE
M.Com., G.D.C. & A.M.B.A., D.T.M.
33 MUMBAI.

MEGHJI BUILDING TENANT'S CO-OPERATIVE HOUSING SOCIETY LIMITED

Bldg No C, Shivdas Champs Marg, Mazgaon, Mumbai 400009

AUDIT PERIOD FOR 1ST APRIL, 2023 TO 31ST MARCH 2024

REMARKS OF NINE POINTS UNDER SECTION 81 (2) AS UNDER:

NO.	AUDIT POINTS	REMARKS
1	OVERDUES ON DEBTS, IF ANY	SEE GENERAL REMARKS
2	CASH BALANCE AND SECURITIES AND A VALUATION OF THE ASSETS AND LIABILITIES OF THE SOCIETY	SEE GENERAL REMARKS
3	WHETHER LOAN & ADVANCES AND DEBTS MADE BY THE SOCIETY ON THE BASIS OF SECURITY HAVE BEEN PROPERLY SECURED AND THE TERMS ON WHICH SUCH LOANS AND ADVANCES ARE MADE OR DEBT ARE INCURRED ARE NOT PREJUDICIAL TO THE INTEREST OF THE SOCIETY.	N.A.
4	WHETHER TRANSACTIONS OF THE SOCIETY WHICH ARE REPRESENTED MERELY BY BOOK ENTRIES ARE NOT PREJUDICIAL THE INTEREST OF THE SOCIETY	NO
5	WHETHER LOAN & ADVANCES MADE BY THE SOCIETY HAVE BEEN SHOWN AS DEPOSITS.	N.A.
6	WHETHER PERSONAL EXPENSES HAVE BEEN CHARGED TO REVENUE ACCOUNT	NO
7	WHETHER SOCIETY HAS INCURRED ANY EXPENDITURE IN FURTHERANCE OF ITS OBJECTS	YES AS PER INCOME & EXPENDITURE ACCOUNTS
8	WHETHER THE SOCIETY HAS PROPERLY UTILISED THE FINANCIAL ASSISTANCE GRANTED BY GOVERNMENT OR GOVERNMENT UNDERTAKING OR FINANCIAL INSTITUTIONS FOR THE PURPOSE FOR WHICH SUCH ASSISTANCE WAS GRANTED.	N.A.
9	WHETHER THE SOCIETY IS PROPERLY CARRIED OUT ITS OBJECTS AND OBLIGATIONS TOWARDS MEMBER.	YES

Place : Mumbai

Date : 30/07/2024

Sachinn Mukke
SACHINN MUKKE
M.Com., G.D.C. & A.M.B.A., D.T.M.
33 MUMBAI.

Form No. N-2
[(See Section 81 and Rule 69 (3))]

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

To,
The Chairman/Secretary,
MEGHJI BUILDING TENANT'S Co-op. Hsg. Soc. Ltd.,
Mazgaon, Mumbai-40009

Report on the Financial Statements as a Statutory Auditor

1. We have audited the accompanying financial statement of **MEGHJI BUILDING TENANT'S Co-operative Housing Society Ltd.** which comprise the Balance Sheet as at **31st March 2024** also the Income & Expenditure Account for the year ended and a summary of significant accounting policies and other explanatory information in corporate in this financial statement of the Society audited by us for the period **1st April 2023 to 31st March 2024.**

Management Responsibility for financial statements:

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with Maharashtra Co-Operative Societies Act, 1960 and rules there under. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors Responsibility:

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the applicable standards by the Institute of Chartered Accountants of India and under the MCS Act. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.
4. An Audit involves performing procedures to obtained obtain audit evidence about the amount and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments the auditor considers internal control relevant to the Society's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.
5. We believe that the information we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion

Opinion:



6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, the said accounts together with the notes thereon give the information required as per Maharashtra Co-Operative Societies Act, 1960 and The Maharashtra Co-Operative Societies Rules 1961 and any other applicable Acts and or circulars issued by the Registrar in the manner so required for the Society gives a true and fair view in conforming with the accounting principles generally accepted in India
- (i) In the case of the Balance sheet of the state of affairs of the Society as at 31st March 2024;
- (ii) In the case of the statement of Income and Expenditure, of the Surplus for the year ended on that date;

Report on other legal and Regulatory Matters:

7. The Balance Sheet and the Income and Expenditure Account have been drawn up in accordance with provisions of Maharashtra State Co-operative Act.
8. We report that:
- (a) We have obtained all the information and explanation which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.
- (b) The transactions of the Society, which have come to our notice, have been within the powers of the Society.
- (c) The returns received from the offices of the Society have been found adequate for the purpose of our audit.
9. In our opinion, the Balance Sheet and Income and Expenditure Account comply with applicable Accounting Standards.
10. We further report that:
- (i) The Balance Sheet and Income and Expenditure Account dealt with by this report, are in agreement with the books of accounts and the returns.
- (ii) In our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept by the society so far, as appears from our examination of these books.
- (iii) For the year under audit, the Society have been awarded "B" classification.

Place : Mumbai
Date : 30/07/2024



Signature and Designation of Auditor Officer

Sachinn Mukke
(Shri Sachinn Mukke)
Govt. Panel Auditor
M. No. 13805

MEGHJI BUILDING TENANTS CO OP HSG LTD

Registration No. :

Balance Sheet As On 31/03/2024

Previous Year Amount(Rs.)	Liabilities	Current Year Amount(Rs.)	Previous Year Amount(Rs.)	Assets	Current Year Amount(Rs.)
	Advances & Deposits			Advance & Deposit	
	EMD For Tender Documents	2,000,000.00	330.00	Deposit With BEST	330.00
	Current Liabilities & Provisions			Cash & Bank Balance	
2,692,773.21	Loan from Dr.Madhukar Kadam	2,692,773.21	1,211.12	CASH	5,577.63
118,500.00	Audit fees Payble	134,800.00	505,951.68	BANK OF BARODA	2,170,997.46
42,000.00	Accounts Charges Payble	52,000.00	34,413.66	MDCC-- NEW	34,413.66
2,553,111.00	Property Tax Payble	2,553,111.00	4,695.00	Fixed Assets	2,210,988.75
50,000.00	Loan from Others	50,000.00	-	Mobile	3,991.00
12,613.00	Electricity Bill Payble	12,613.00	-	Less : Depreciation	704.00
	Loan From Members	75,500.00	-	C C TV	6,185.00
		5,570,797.21	-	Less : Depreciation	464.00
			-	Printer	17,200.00
			-	Less : Depreciation	2,580.00
19,000.00	Issued, Sub. & Paid Up Capital	19,000.00	54,324.66	Investments	14,620.00
	Issued & Subscribed Capital	19,000.00	500.00	Share of Mumbai District Bank SB A/C	54,324.66
			500.00	Investment	500.00
	Reserve Fund				
28,000.00	Share Money	28,000.00	575,000.00	Land & Building	629,824.66
6,700.00	Add : During The Year	2,000.00			
	Entry Fees	6,700.00			
522,000.00	Add : During The Year	1,000.00			
	Transfer Fees	522,000.00			
	Add : During The Year	50,000.00			
76.00	Reserve Fund	76.00			
381,133.90	Advance From Member / Tenants	417,710.00	5,307,720.50	Dues from Member / Tenants	5,156,270.60
				Deficit During the Year	653,776.71
58,239.51	Income & Expenditure	58,239.51			
	Income & Expenditure	58,239.51			
6,484,146.62	Total	8,675,522.72	6,484,146.62	Total	8,675,522.72

Dm Solanki

SECRETARY

J.K. Mukherjee

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

Pm Saverji

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE



N.P. K...

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

R. Phadnis

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

D...

MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

Sachin MURKAR

SACHIN MURKAR
M. Com., G.D.C. & A.M.B.A., D.T.M.
33 MUMBAI.

MEGHJI BUILDING TENANTS CO OP HSG LTD

Registration No. :

Income & Expenditure A/c. for the period 1/04/2023 to 31/03/2024

Previous Year Amount(Rs.)	Expenditure	Current Year Amount(Rs.)	Previous Year Amount(Rs.)	Income	Current Year Amount(Rs.)
	Maintenance			Interest Received From	
8,425.00	WATER BILL PAID	50,077.00	8,001.00	SAVING BANK INT	11,353.00
61,589.00	REPAIR & MAINT	9,819.00		Maintenance & Service Charges	
	Others		1,981,520.00	Gen Maintenance	
87,000.00	LEGAL FEES PAID	160,000.00	500,000.00	Other Sources	150,000.00
	ELECTRICITY BILL PAID	2,840.00		TENDER DOCUMENTS SALE	
344.52	BANK CHARGES	13.22			
826.00	SUBSCRIPTION EXP	1,416.00			
719.00	TELEPHONE EXP	666.00			
21,012.00	PRINTING & STATIONERY	50,641.00			
6,640.00	MISC EXP	2,555.00			
4,180.00	CONVYANCE EXP	26,248.00			
13,450.00	OFFICE CLEANING EXP				
4,860.00	PETROL EXP	7,234.00			
	MIS EXP	3,350.00			
1,917.40	POSTAGE & COURIER	380.00			
2,257.00	MOBILE RECHARGE	1,999.00			
1,370.00	TEA & REFRESHMENT	5,425.00			
1,820.00	DIWALI EXP	5,320.00			
18,485.00	TRAVELLING EXP				
105,000.00	PROFESSIONAL FEES PAID	156,000.00			
14,000.00	WEB SITE EXP	28,000.00			
10,000.00	ACCOUNTS WRITTING EXP	10,000.00			
16,300.00	AUDIT FEES PAID	16,300.00			
829.00	DEP	3,748.00			
	SALARY EXP	21,370.00			
	COURT CASE FILLING EXP	3,000.00			
	ADVERTISEMINT EXP	71,787.00			
	Rent, Rates & Taxes	578,292.22			
91,478.00	MEETING EXP	176,942.00			
2,017,019.08	SURPLUS DURING THE YEAR				
2,489,521.00	Total	815,130.22	2,489,521.00	0.00 DEFICIT DURING THE YEAR	653,777.22
					815,130.22



SACHINN MUKHERJEE
 Mr. Com., G.D.C. & A.M.B.A., D.T.M.
 33 MUMBAI.

Sachin Mukherjee
 MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

R. S. Bhoj
 MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

R. M. S. S. S. S.
 SECRETARY

J. K. Shukla
 MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

P. S. S. S. S.
 MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

P. S. S. S. S.
 MEMBER OF MANAGING COMMITTEE

HOUSING SOCIETY LTD., ANN-7

मेघजी बिल्डिंग टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड

Regd. No. : BOM/W-E/HSG/(TC) 392/85-86

Temporary office address ONLY for correspondence: Rm No.27, 3rd Floor, 'C' Block, Meghji Building, Shivdas Champs Marg, Mumbai -400009
www.meghjibuilding.com Email: meghjibuildingmumbai@gmail.com Cont. +91-79771 71223

Date:- 23-11-2023

To,
The Asst. Registrar of Co. Op. Societies,
E - Ward, 5th Floor, Bhoruka Charitable Trust Building,
Poona Street, Masjid Bunder,
Mumbai - 400 009.

SUB: Submission of Audit Rectification Report "O" Form Year 2022-2023.


Respected Sir,

Please find enclosed herewith the Audit Rectification report "O" form for the Year 2022-2023.


Kindly acknowledge the same.


Thanking you,

Yours faithfully,


Ganesh More
Chairman




Dharmesh Solanki
Secretary


20.12.23
(आयुक्त लिफाफे)
राज्यपालिका, मुंबई
महाराष्ट्र राज्य शासन
भारत

FORM "O"

(See Rule 73 of the M.C.S. Rules, 1961)
 Rectification Report under Section 82/87 of the M.C.S. Act, 1960

Date of Audit: 25/07/2023

Number and Date of order :
 under Section 83-84

Period Covered : 2022-2023

Name & address of the Society : Meghji Buiding Tenants Co-op Housing Soc Ltd.,
 Mumbai.

Name and Designation of person carrying out audit, inquiry or inspection : Sachinn Mukke
 Statutory Auditor,
 Panel No., 13805
 Parel, Mumbai - 400012.

Serial No. of the objection in the Audit Memo or Report of the Officer carrying out inquiry or inspection	Observation made by the Auditor or Officer carrying out inquiry or inspection	Explanation of the Society and remarks regarding action taken by it to rectify the irregularities and implement the suggestion made by the Auditor or Officer carrying out inquiry or inspection	Number and Date of the resolution of Committee approving the report	Remarks
1	Income & Expenditure & Balance Sheet is prepared based on accrual/mercantile basis concept which is the general accounting policy followed universally. The revenues recognitions have also been accounted on accrual basis.	3	Mc meeting dated 02/09/2023 Resolution No 2.	5 OK
2	The society is advised to update all statutory records as per law and update the same time to time. As of date records are updated as per law.	Noted. Necessary steps will be taken for updating all statutory records and updating them from time to time.	Mc meeting dated 02/09/2023 Resolution No 2.	OK
3	Meeting of the Managing Committee must be held at least once in a month as provided in the byelaws. Monthly expenses should be approved in the said meeting.	Noted. Attempts will be made to held the Managing Committee once in the month and Monthly expenses will be approved in such Meeting.	Mc meeting dated 02/09/2023 Resolution No 2.	OK
4	The Society should take necessary steps to recover all the outstanding dues from members which are overdue for long period of time.	Noted. Necessary steps will be taken to recover the long outstanding dues from the members.	Mc meeting dated 02/09/2023 Resolution No 2.	OK

1 Serial No. of the objection in the Audit Memo or Report of the Officer carrying out inquiry or inspection	2 Observation made by the Auditor or Officer carrying out inquiry or inspection	3 Explanation of the Society and remarks regarding action taken by it to rectify the irregularities and implement the suggestion made by the Auditor or Officer carrying out inquiry or inspection	4 Number and Date of the resolution of Committee approving the report	5 Remarks
5)	Nomination should be obtained from all the members as per Rule 25 of M C S Act 1961.	Noted. Nominations will be obtained from the members as per the Rule.	Mc meeting dated 02/09/2023 Resolution No 2.	OK
6)	Society should get Insured.	Noted. Steps will be taken to get the Society insured as required.	Mc meeting dated 02/09/2023 Resolution No 2.	OK

For Meghji Building Tenants Co-op. Hsg. Society Ltd.

Hon. Secretary / Chairman